



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
बेंगलुरु

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, बेंगलुरु ने इच्छुक पार्टियों को काम की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि आरबीआई ने यहां निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानते हैं, न तो आरबीआई और न ही इसका कोई प्राधिकरण या उनके कोई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जा सकने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी नहीं देते हैं या कोई अभ्यावेदन व्यक्त या निहित करते हैं।

जानकारी संपूर्ण होने का इरादा नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी स्वयं की पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। यह सूचना इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

आरबीआई के पास काम के साथ आगे न बढ़ने या काम के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, भविष्य में जारी किया जाएगा, केवल आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

विषय-सूची

कर्तन	विवरण	पेज नंबर
भाग-I		5
खंड ए	ई-टेंडर (एसओटी) की अनुसूची	6
खंड बी	ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	8
अनुभाग: सी	निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड	12
खंड डी	वचन पत्र	16
खंड ई	समझौते के लेख	19
<u>खंड एफ</u>	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश	23
खंड जी	भाग I - तकनीकी बोली	30
घोषणा		33
खंड एच	कार्य का दायरा	34
खंड ई	अनुबंध के नियम और शर्तें	42
खंड - J	भाग II - मूल्य बोली	51
	अनुलग्नक I - बैंकरो का विवरण	54
	अनुलग्नक II - ग्राहक की रिपोर्ट	55
	अनुलग्नक III- प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा	56
	अनुलग्नक-IV – इसी तरह के कार्यों की सूची	59
	अनुलग्नक V - बैंकर के प्रमाण पत्र का रूप	60
	अनुलग्नक VI - मूल्यांकन मैट्रिक्स	62



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
बेंगलुरु

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु के मुख्य कार्यालय परिसर (अनुलग्नक भवन सहित) में रखरखाव और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

(केवल ई-निविदा)

भाग – I

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

बोली-पूर्व बैठक की तिथि	10 फरवरी, 2026 1430 बजे
जमा करने की अंतिम तिथि और समय	24 फरवरी, 2026 को 1000 बजे तक।
आवेदन पत्र/निविदा की लागत	शून्य

खंड ए:

निविदा अनुसूची (एसओटी)

1.	ई- निविदा संख्या	RBI/Bengaluru Regional Office/HRMD/4/25-26/ET/841
2.	ई-निविदा का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु के मुख्य कार्यालय परिसर (एनेक्सी भवन सहित) में रखरखाव और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा
3.	काम की अनुमानित लागत	₹1,64,12,423/- (एक करोड़ चौसठ लाख बारह हजार चार सौ तेईस रुपये मात्र) ।
4.	बयाना धन जमा (EMD)	₹3,28,248/-, (केवल तीन लाख अट्ठाईस हजार दो सौ अड़तालीस रुपये) एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से धारा बी के क्रम संख्या 7 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्दिष्ट खाते में प्रेषित किया जाएगा।
5.	निविदा शुल्क	शून्य
6.	प्रदर्शन बैंक गारंटी	कुल उद्धृत राशि का 5%
7.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से https://www.mstcecommerce.com/eprocn)
8.	समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि	14 जनवरी 2026 1200 बजे
9.	एनआईटी अपलोड तिथि	14 जनवरी 2026 1200 बजे
10.	निविदा तिथि देखें	14 जनवरी 2026 1200 बजे
11.	प्री-बिड मीटिंग*	10 फरवरी, 2025 1430 बजे
11.	बोली शुरू होने की तारीख	14 जनवरी 2026 1200 बजे
12.	बोली की अंतिम तिथि	24 फरवरी, 2026 1000 बजे तक
13.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	23 फरवरी, 2026 को 1700 बजे तक
14.	तकनीकी बोली खोलना (भाग-I)	24 फरवरी, 2026 पर 1100 बजे
15.	भाग- II के खुलने की तिथि और समय (यानी वित्तीय बोली):	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन्हीं योग्य बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा जिनके भाग-I (तकनीकी बोली) को भारतीय रिज़र्व बैंक,

		बेंगलुरु द्वारा स्वीकार्य पाया गया है। ऐसे बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) को भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख के बारे में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत वैध ईमेल-आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
16.	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सलाह के अनुसार एमएसटीसी गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान।
17.	योजना प्रभावी तिथि	अप्रैल 01, 2026
18.	लेन-देन शुल्क	एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान, एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से।

*प्री-बिड मीटिंग 10 फरवरी, 2026 (1430 बजे) को आयोजित की जाएगी और इसलिए सभी इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे 09 फरवरी, 2026 को 1700 बजे या उससे पहले securityblr@rbi.org.in बजे ईमेल के माध्यम से बोली से संबंधित प्रश्न भेजें, साथ ही प्री-बिड मीटिंग में भाग लेने वाले अधिकारी के नाम भी भेजें। समेकित उत्तर और प्री-बिड मीटिंग के मिनट्स 12 फरवरी, 2026 तक बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे।

बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने वाले अधिकारी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र ले जाएंगे।

खंड बी

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले नीचे दिए गए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण निर्देशों और बाद के पत्रों में दिए गए इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ें।

1	<p>ई-निविदा की प्रक्रिया: ए)</p> <p>पंजीकरण:</p> <p>इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ निविदाकर्ताओं का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, निविदाकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। निविदाकर्ताओं के पास कक्षा III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पर्सनल कंप्यूटर/लैपटॉप से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। <i>(डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।</i></p> <p>विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करनी होगी www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन</p> <p>१) निविदाकर्ताओं को नीचे दिए गए चरणों का पालन करते हुए खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है</p> <p>www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई का लोगो चुनें > विक्रेता के रूप में रजिस्टर करें - विवरण भरना और स्वयं की यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना → सबमिट करें।</p> <p>२) निविदाकर्ताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया आरबीआई या एमएसटीसी से संपर्क करें, (ई-टेंडर के निर्धारित समय से पहले)।</p> <p>MSTC संपर्क व्यक्ति</p> <p>i) श्री जे. दामोदरन, शाखा प्रबंधक: 080-22287356 / 9841002253 (jdmodaran@mstcindia.co.in)</p> <p>ii) रवींद्रनाथ, 76764 56095</p> <p>iii) अर्णब सरकार 9986036012</p> <p>iv) गूगल हैंगआउट आईडी- (टेक्स्ट चैट के लिए)- mstceproc@gmail.com</p> <p>v) MSTC केंद्रीय हेल्पडेस्क नंबर: 033-23400020/23400021/23400022 ईमेल: helpdesk@mstcindia.co.in</p> <p>संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, बेंगलुरु):</p> <p>(१) श्री मनीष कुमार शुक्ला, प्रबंधक, शिष्टाचार एवं सुरक्षा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, ईमेल: securityblr@rbi.org.in, फोन नंबर: 080-22180500</p>
---	--

	<p>(२) श्री अभिनीत, सहायक, शिष्टाचार एवं सुरक्षा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, ईमेल: securityblr@rbi.org.in, फोन नंबर: 080-22180277</p> <p>बी) सिस्टम आवश्यकता:</p> <p>i) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम ii) IE-7 और इसके बाद का इंटरनेट ब्राउज़र।</p> <p>iii) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर iv) सिस्टम में डाउनलोड और स्थापित किए जाने वाले नवीनतम अद्यतन जेआरई 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर।</p> <p>DSC के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।</p> <p>उपकरण = > इंटरनेट विकल्प = > सुरक्षा = > अक्षम करें संरक्षित मोड यदि सक्षम है- यानी, "सुरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक निकालें। <input type="checkbox"/> अन्य सेटिंग्स:</p> <p>उपकरण => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं" सक्रिय करें।</p> <p>सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और टूल्स→इंटरनेट विकल्प→कस्टम स्तर के तहत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया पृष्ठ से आईई सेटिंग्स www.mstcecommerce.com एक बार चलाएं)</p>
2	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन जमा करनी होगी।
3	निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।
4	<p>लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:</p> <p>निविदाकर्ता निविदाकार लॉगिन में "माई मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। निविदाकर्ताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। निविदाकर्ताओं के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, निविदाकर्ता एक फॉर्म भरकर चालान जारी करेंगे। निविदाकर्ता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि में बदलाव किए बिना भुगतान करेंगे। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, निविदाकर्ताओं के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और निविदाकर्ताओं को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।</p> <p><u>लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।</u></p> <p><u>एक निविदाकर्ता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।</u></p> <p><u>नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय देने के लिए कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से भेज दें।</u></p>

5	अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय वैध और अद्यतन है। निविदाकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।
6	निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।
7	<p>ई-टेंडर में बोली:</p> <p>अ) निविदाकर्ता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी, निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं। ईएमडी को एनईएफटी/आरटीजीएस के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के नामित खाते में भेजा जाना है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ऐसी निविदा जिस पर ऐसे ईएमडी के साथ नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल निविदाकर्ता (ओं) के ईएमडी को नियत समय में निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>आरटीजीएस/एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है।</p> <p>लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलुरु</p> <p>आईएफएससी: RBIS0BGPA01 (5 वें और 10 वें अक्षर अंक हैं) खाता संख्या:</p> <p>8692299</p> <p>लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण संलग्न/अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलुरु, एचआरएमडी को मेल आईडी - securityblr@rbi.org.in में ई-मेल के माध्यम से लेनदेन संख्या के साथ प्रेषण का प्रमाण भेजें।</p> <p>आ) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।</p> <p>इ) जिन विक्रेताओं ने लेन-देन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभाग → में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं।</p> <p>आरबीआई → मेरा मेनू → नीलामी मंजिल प्रबंधक → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन</p> <p>ई) विक्रेता जावा अनुप्रयोग चल रहा होना चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद, उन्हें क्लिक करना चाहिए</p>

	<p>तकनीकी बोली। यदि यह जावा एप्लिकेशन नहीं चलता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।</p> <p>उ) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर विक्रेता को अपनी वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों को सहेजने के बाद, विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।</p> <p>ऊ) विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए "दस्तावेज़ संलग्न करें" का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।</p> <p>ऋ) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।</p> <p>लृ) पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।</p> <p>एँ) ई-टेंडर फ्लोर पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।</p> <p>ऐ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी।</p> <p>ए) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p> <p>ऐ) क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना किसी कारण के हो।</p> <p>ऑ) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर फ्लोर में बोली जमा करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।</p>
8	इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
9	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
10	निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
11	निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निविदाकार गाइड पढ़ें और अपनी बोली शुरू करने से पहले सिस्टम से परिचित होने के www.mstcecommerce.com/eprocn पृष्ठ में वीडियो देखें।

अनुभाग: सी

ई-टेंडर में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु के मुख्य कार्यालय परिसर (एनेक्सी भवन सहित) में रखरखाव और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

एक. भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु ने रखरखाव के लिए दो भागों में ई-निविदा आमंत्रित की और भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु के मुख्य कार्यालय परिसर (एनेक्सी भवन सहित) में लगभग ₹1,64,12,423/- (एक करोड़ चौंसठ लाख बारह हजार चार सौ तेईस रुपये मात्र) की अनुमानित लागत से हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रति वर्ष सभी करें सहित।

दो. ई-टेंडर में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड: निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनी/फर्म/एजेंसी आवेदन करने के पात्र हैं:

क्रम	कसौटी	माँग
------	-------	------

(क)	अनुभव	<p>हाउसकीपिंग सेवाओं के क्षेत्र में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए और "रखरखाव और हाउसकीपिंग की सेवाएं प्रदान करने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>(१) तीन सितारा होटल या ऊपर, (२) अंतर्राष्ट्रीय / घरेलू हवाई अड्डा (३) मेट्रो रेलवे स्टेशन (४) लक्जरी शॉपिंग मॉल (५) प्रतिष्ठित/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक/उद्यम (vi) प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियां।</p> <p>बोलीदाताओं को ऊपर बताए गए ग्राहकों से कार्य आदेश और सफल कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए, जैसा कि महीने के अंतिम दिन को समाप्त करने के लिए जिसमें आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं" (इसके बाद "समान कार्य" के रूप में संदर्भित)। आवेदक को अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए और पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करना चाहिए।</p> <p>एजेंसी को उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक सुस्थापित संगठन होना चाहिए।</p> <p>एजेंसी के पास अनिवार्य रूप से बेंगलुरु में एक कार्यालय (पंजीकृत/कॉर्पोरेट / शाखा/क्षेत्रीय/जोनल / प्रतिनिधि/संपर्क) होना चाहिए। इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है।</p>
-----	-------	--

(ख)	प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य (योग्यता)	<p>पिछले 3 वर्षों के दौरान "समान कार्य" को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव * महीने के अंतिम दिन को समाप्त करने से पहले जिसमें आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, लगातार निम्नलिखित में से कोई एक प्रदान करना चाहिए:</p> <ul style="list-style-type: none"> चार (4) "समान कार्य" * प्रत्येक लागत पिछले 3 वर्षों के लिए अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है या दो (2) "समान कार्य" * व्यक्तिगत रूप से लागत पिछले 3 वर्षों के लिए अनुमानित लागत के 60% के बराबर राशि से कम नहीं है या एक (1) "समान कार्य" * पिछले 3 वर्षों के लिए अनुमानित लागत के 100% के बराबर राशि से कम नहीं। <p>संतोषजनक समापन के लिए ग्राहक की रिपोर्ट को दस्तावेजी प्रमाण के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए (स्कैन की गई कॉपी)</p> <p>*समान कार्य - रखरखाव और हाउसकीपिंग</p>
(ग)	हाउसकीपिंग पर विशेष रूप से वार्षिक कारोबार और अनुरक्षण सेवाएँ	<p>पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के दौरान यानी 31 मार्च, 2025 तक अनुमानित लागत का 100% या उससे अधिक (विशेष रूप से हाउसकीपिंग और रखरखाव कार्य से) का औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए। (सीए प्रमाण पत्र / लेखा परीक्षित बैलेंस शीट / आईटी मूल्यांकन आदेश प्रस्तुत किया जाना है)। लेखापरीक्षित तुलन पत्र और टर्नओवर के संबंध में सीए प्रमाण पत्र के बिना किसी भी निविदा दस्तावेज को अस्वीकार कर दिया जाएगा</p>
(घ)	ऋणशोध क्षमता/ बैंकर का प्रमाणपत्र	<p>इस निविदा के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से इच्छुक बोलीदाता के बैंकर द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ₹1,64,12,423/- (एक करोड़ चौंसठ लाख बारह हजार चार सौ तेईस रुपये मात्र)।</p>
(ङ)	बेंगलुरु में कार्यालय/उपस्थिति	<p>कार्यालय प्रतिष्ठान, अधिकारियों और अधिकृत कर्मियों के माध्यम से संस्था की बेंगलुरु में पर्याप्त उपस्थिति होनी चाहिए।</p>

तीन. कंपनी/फर्म/एजेंसी का विवरण:

(अ) कंपनी/फर्म/एजेंसी का पूरा विवरण, विस्तार से, प्रस्तुत करना आवश्यक है। किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के पंजीकरण प्रमाण पत्र, ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। एक साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि कोई हो और फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों का विवरण; और किसी एजेंसी या स्वामित्व के मामले में, उसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पते आदि के साथ विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(आ) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए ठेकेदार के व्यवसाय के निर्दिष्ट खातों की एक प्रति के साथ बैंकरों से नवीनतम अंतिम आदेश और ऋण योग्यता प्रमाण पत्र के साथ आयकर मूल्यांकन आदेश पिछले तीन वर्षों के लिए ऋण योग्यता और कारोबार के प्रमाण के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

(इ) बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी जैसे कि नाम, वर्तमान संपर्क डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन अधिकारी और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर, आदि संपर्क अधिकारियों (यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा अपने बैंकरों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि इसकी आवश्यकता हो) प्रस्तुत की जानी चाहिए।

चार. प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/विवरण:

(अ) अपने ग्राहकों से अनुलग्नक-II में प्रारूप के अनुसार ग्राहक की रिपोर्ट, जिनके लिए उन्होंने इस नोटिस में बताए गए पात्रता (पूर्व-योग्यता) मानदंडों के संदर्भ में "योग्य कार्य" किए हैं।

(आ) लागू कर पंजीकरण की प्रतियां, जैसे, पैन, टीआईएन, जीएसटी, आदि।

(इ) संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।

(ई) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र और ईएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां।

(उ) भारत में किसी अनुसूचित बैंक में उनके द्वारा रखे गए बैंक खाते का विवरण। विवरण इस दस्तावेज के साथ संलग्न अनुलग्नक I में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।

(ऊ) हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970 के तहत लाइसेंस संख्या की प्रति।

(ऋ) विवरण प्रदान करें कि क्या निष्पादित किसी भी कार्य में कोई सिविल मुकदमा लंबित है या यदि किसी बैंक ने पिछले तीन वर्षों में निविदाकर्ता के किसी भी ऋण को एनपीए के रूप में घोषित किया है।

(ऌ) बैंक द्वारा मांगे जाने पर कोई अन्य दस्तावेज।

पाँच. भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

छः. **पूर्ण किए गए कार्य का विवरण:** ग्राहक-वार (ऊपर दिए गए खंड सी, पैरा 2 के अनुसार श्रेणियों में) कार्य (कार्यों) के नाम, कार्य (ओं) के निष्पादन का वर्ष और निष्पादित कार्य (ओं) की वास्तविक लागत, नाम और उन अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के पूर्ण संपर्क विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिनके तहत कार्य निष्पादित किया गया था।

सात. जांच के बाद, यदि किसी ठेकेदार के पास अपेक्षित पात्रता नहीं पाई जाती है, तो आगे की प्रक्रिया के लिए बैंक द्वारा उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

आठ. निविदा का भाग- I 24 फरवरी, 2025 को 1100 बजे अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा (बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत वैध ईमेल पते पर ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा), जो उपस्थित होना चुनते हैं। निविदा का **भाग- II** (मूल्य बोली) बाद की तारीख को खोला जाएगा, जिसे नियत समय में निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा। (प्राधिकृत प्रतिनिधियों को बोली एजेंसी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित पत्र लाना आवश्यक है)

नौ. बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक निविदाओं के भाग- II को खोलने से पहले भाग I में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी निविदाकर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों की रिपोर्ट से प्राप्त उसकी प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित

रखता है और निविदा का भाग- II खोला नहीं जाएगा और ईएमडी वापस कर दिया जाएगा। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

घोषणा। मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने पात्रता मानदंड की अनुसूची को पढ़ और समझ लिया है और उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यह मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

हस्ताक्षर और मुहर के साथ अधिकृत व्यक्ति का नाम

खजूर:

पता:

खंड डी

वचन पत्र

स्थान: _____

खजूर: _____

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक बेंगलुरु-560001

महोदय/महोदया,

01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु के मुख्य कार्यालय परिसर (एनेक्सी भवन सहित) में रखरखाव और हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी)

ई-निविदा आमंत्रित करने वाली सूचना, इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों और अनुसूची को पढ़ने और उसकी जांच करने के बाद और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्वारा निर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने की पेशकश करते हैं और संलग्न मूल्य बोली में उल्लिखित दरों पर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर और समझौते के लेखों में निर्दिष्ट विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार, निविदा की सामान्य शर्तें, ऐसी सेवाओं और सामग्रियों के साथ अनुबंध के नियम और शर्तें, जो ऐसी शर्तों के अनुसार और अन्य सभी मामलों में प्रदान की जाती हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

(क)	काम का विवरण	रिज़र्व के मुख्य कार्यालय परिसर (एनेक्सी भवन सहित) में रखरखाव और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए एएमसी बैंक ऑफ इंडिया, बेंगलुरु
(ख)	अनुमानित लागत	लगभग ₹1,64,12,423/- (एक करोड़ चौंसठ लाख बारह हजार चार सौ तेईस रुपये मात्र)। (जीएसटी सहित)
(ग)	बयाना पैसा जमा (ईएमडी)	₹3,28,248/-, (केवल तीन लाख अट्ठाईस हजार दो सौ अड़तालीस रुपये)
(घ)	अनुबंध की वैधता	अनुबंध शुरू में एक वर्ष (01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) के लिए दिया जाएगा और इसे अगले दो वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जा सकता है, जो संतोषजनक प्रदर्शन और एजेसी द्वारा नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन है।
(ङ)	प्रदर्शन बैंक गारंटी	उद्धृत राशि का 5%

दो. हम कार्य सौंपते समय भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना राशि के रूप में ₹3,28,248/-, (केवल तीन लाख अट्ठाईस हजार दो सौ अड़तालीस रुपये) बोली के साथ जमा करने का वचन देते हैं, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी। हम अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान प्रदर्शन बैंक गारंटी को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

तीन. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है।

चार. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं और इसके डिफ़ॉल्ट रूप से, भारतीय अनुबंध अधिनियम की उचित प्रक्रिया के साथ अनुबंध के निष्पादन के साथ-साथ निविदा दस्तावेज में निहित शर्तों में निर्धारित राशि को जब्त करने और भुगतान करने के लिए, 1872.

पाँच. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी या संपूर्ण निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बिना कोई कारण बताए के।

छः. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें, तकनीकी विवरण, ईएमडी शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

सात. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके द्वारा अनुबंध की उक्त शर्तों के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या डिफ़ॉल्ट रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

आठ. हमारे बैंकर हैं (पूरा पता):

i)	बैंक का नाम पता:
ii)	बैंक का नाम पता:

नौ. हमारी फर्म के भागीदारों के नाम हैं:

i)	
ii)	

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत फर्म के भागीदार का नाम

नहीं तो

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम (पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए)

तुम्हारा ईमानदारी से,

ठेकेदार के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर और पते:

S.no	दस्तखत देखिए।	पता
(i)		
(ii)		

खंड ई

समझौते के लेख

यह समझौता भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसका केंद्रीय कार्यालय फोर्ट, मुंबई में है, और इसका एक कार्यालय बेंगलुरु में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके क्षेत्रीय निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु-560001 द्वारा किया जाता है, के बीच _____ के इस _____ दिन को बेंगलुरु में किया गया है। (इसके बाद कहा जाता है "नियोक्ता") एक तरफ से।

और

_____ (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित (कंपनी के मामले में) और इसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है (इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाता है) जिसका प्रतिनिधित्व श्री _____ जो दूसरे भाग पर अपने निदेशक मंडल द्वारा इस समझौते को दर्ज करने के लिए अधिकृत है।

और जबकि नियोक्ता का इरादा बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (अनुलग्नक भवन सहित) में हाउसकीपिंग के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए एक ठेकेदार को नियुक्त करने का है, बैंक के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा या उसके निर्देशन में तैयार किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करने वाली आवश्यकताओं और विनिर्देशों का कारण बना है।

और जबकि नियोक्ता ने मुख्य कार्यालय परिसर में हाउसकीपिंग के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र ठेकेदारों से वार्षिक रखरखाव अनुबंध की निविदाएं मांगी थीं, जैसा कि निविदा के साथ संलग्न कार्य के दायरे और अन्य दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

और जबकि ठेकेदार यहां निर्धारित शर्तों और निविदा दस्तावेज में निर्धारित अनुबंध के नियमों और शर्तों को निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा गया है) संबंधित दर पर दिखाए गए कार्यों को उसमें निर्धारित राशि के रूप में निर्धारित किया गया है या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय हो जाएगी (इसके बाद संदर्भित "उक्त अनुबंध राशि" के रूप में)।

एक। अब इस पर इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है

एक. यह समझौता ----- से लागू होगा और ----- तक लागू रहेगा हालांकि, अनुबंध को समान नियमों और शर्तों पर, एक बार में एक वर्ष, या उसके हिस्से के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है, जो प्रदान की गई सेवाओं के संतोषजनक प्रदर्शन और संबंधित फर्म/कंपनी द्वारा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन है।

दो. ₹ _____ (केवल Rupees _____) के प्रभारों में हाउसकीपिंग और अनुरक्षण सेवाओं के कुशल प्रतिपादन के लिए उपयोग की जाने वाली जनशक्ति और सामग्री शामिल होगी, जैसा कि निविदाकार द्वारा एक वर्ष की पूरी अवधि के लिए उद्धृत किया गया है, बिल/चालान प्रस्तुत करने के अध्वधीन मासिक आधार पर देय होगा। उस पर भुगतान बैंक के अधिकारियों द्वारा इस आशय के विधिवत प्रमाणित होने के बाद किया जाएगा कि सांविधिक कटौतियों के अधीन रखरखाव सेवाएं संतोषजनक ढंग से प्रदान की गई हैं।

तीन.नियोक्ता ठेकेदार को उक्त अनुबंध राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय पर और तरीके से देय हो जाएगी।

चार. उपरोक्त शुल्कों में जीएसटी, बीमा शुल्क और कोई अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी भी शामिल है, चाहे वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भविष्य में मौजूदा हो या लगाया गया हो।

पाँच. उक्त शर्तों और उसके कार्य के दायरे और इससे जुड़े पत्राचार को इस समझौते के हिस्से के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा, और इसके लिए पक्ष क्रमशः उक्त शर्तों और पत्राचार का पालन करेंगे, खुद को प्रस्तुत करेंगे और उक्त शर्तों और निहित पत्राचार में क्रमशः अपनी ओर से समझौते का पालन करेंगे

छः. ठेकेदार काम के दायरे और अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार नियमित आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

सात. उक्त शर्तों में "क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी" शब्द का अर्थ होगा कि सौंपा गया अधिकारी या उस उद्देश्य के लिए नियोक्ता द्वारा नामित बैंक का कोई अन्य उत्तराधिकारी "क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी" के रूप में कार्य करेगा।

आठ. भारतीय रिज़र्व बैंक बिलों के प्रमाणन, भुगतान करने और अनुबंध के विभिन्न नियमों, शर्तों और शर्तों के कार्यान्वयन, कार्य के निष्पादन, कार्य की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, प्रगति और अनुबंध को पूरा करने सहित बैंक के कर्मचारियों के माध्यम से कार्यों के पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा।

नौ. यहां उल्लिखित योजनाएं, समझौता और मूल निविदा दस्तावेज इस अनुबंध का आधार बनेंगे।

दस. इस अनुबंध के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल बेंगलुरु में किए जाएंगे।

ग्यारह. उपक्रम

ठेकेदार एतद्वारा नियोक्ता द्वारा उसे दिए गए रखरखाव और हाउसकीपिंग कार्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा लगाए जाने वाले सभी प्रकार के सभी श्रमिकों को वास्तव में मजदूरी का भुगतान करने का वचन देता है, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं है और सीएलआरए (ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत प्रदान की गई आवश्यक सुविधाओं का आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने और नियोक्ता को रखने के लिए भी इस तरह के वेतन का भुगतान करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफलता के लिए वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा नियोक्ता के खिलाफ शुरू की जा सकने वाली सभी कार्रवाइयों के लिए क्षतिपूर्ति की गई है।

बारह. इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को बेंगलुरु में उत्पन्न माना जाएगा और केवल बेंगलुरु की अदालतों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

तेरह. कि इस अनुबंध के कई हिस्सों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है। ठेकेदार निविदा की गई मात्रा से अधिक मात्रा के लिए भुगतान का हकदार नहीं होगा जब तक कि बैंक के प्रबंधक से विशिष्ट लिखित निर्देशों द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है।

चौदह. **गैर-प्रकटीकरण खंड:** ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों/वास्तुकला आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के

लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता ठेकेदार की कीमत पर नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

गवाह में जिसके बारे में नियोक्ता और ठेकेदार ने इन उपहारों के लिए अपने संबंधित हाथों को सेट किया है और यहां दिन और वर्ष के दो डुप्लिकेट पहले यहां ऊपर लिखे गए हैं।	यदि ठेकेदार एक साझेदारी या एक व्यक्ति है।
गवाह में जिसके बारे में नियोक्ता ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन उपहारों के लिए अपने हाथ सेट किए हैं और ठेकेदार ने इसकी सामान्य मुहर को यहां चिपका दिया है और उक्त डुप्लिकेट / इन उपहारों और उक्त दो डुप्लिकेट को अपनी ओर से निष्पादित करने का कारण बना दिया है, दिन और वर्ष पहले यहां ऊपर लिखा गया है।	अगर ठेकेदार है एक कंपनी।
हस्ताक्षर खंड	
रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया भारत के हाथ से	
श्री	
(नाम और पदनाम)	
की उपस्थिति में	

(1)		
पता		
(2)		
पता		
सत्यापित करना		

द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया		यदि पार्टी साझेदारी फर्म है या किसी व्यक्ति पर सभी या सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
की उपस्थिति में		
(1)		
पता		
(2)		
पता		
सत्यापित करना		
की सामान्य मुहर		
इसके निदेशक मंडल द्वारा _____ को आयोजित बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसरण में निम्नलिखित को चिपकाया गया था।		
(1)		
(2)		
जिन निदेशकों ने इन उपहारों को उनके टोकन में निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।		यदि ठेकेदार अपनी सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर खंड को लेखों में सीलिंग खंड के साथ मिलान करना चाहिए संघ।
(1)		
(2)		
श्री _____ और विधिवत गठित वकील के हाथ से ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया।		यदि ठेकेदार पावर ऑफ अटॉर्नी के हाथ से हस्ताक्षर करता है, चाहे वह कंपनी हो या व्यक्ति।

खंड एफ

निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश

निर्धारित प्रपत्र में निविदा दो भागों यानी भाग- I और भाग- II में प्रस्तुत की जाएगी।

निविदा का भाग - I, जिसका शीर्षक है **"भारतीय रिज़र्व बैंक, बंगलुरु के मुख्य कार्यालय परिसर (एनेक्सी भवन सहित) में रखरखाव और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा"**

1. निम्नलिखित युक्त प्रस्तुत किया जाएगा:

(अ) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ मुख्तारनामा/प्राधिकार।

(आ) बैंक निविदाकर्ता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों की शर्त को हतोत्साहित करता है। हालांकि, यदि निविदाकर्ता कार्य के लिए निविदा देते समय किसी भी शर्त/स्पष्टीकरण/क्वॉरिंग पत्र को शामिल करना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत करना होगा और भाग-I के तहत प्रस्तुत करना होगा:

(१) वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में विचलन, यदि कोई हो, की सूची।

(२) तकनीकी विनिर्देश में विचलन की सूची, यदि कोई हो।

(३) कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है।

(इ) बैंक द्वारा जारी निविदा दस्तावेज (भाग- I) - विधिवत मुहर लगाई गई और हस्ताक्षरित।

दो. केवल वे प्रोपराइटरशिप फर्म/साझेदारी फर्म/कंपनियां जिनके पास सफाई, हाउसकीपिंग और रखरखाव कार्यों जैसे संबंधित ट्रेडों में अपेक्षित वर्षों का अनुभव है, ई-टेंडरिंग में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

तीन. भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

चार. **सूचना एकत्र करना और साइट निरीक्षण:** निविदाकर्ता को अपने लिए और अपने स्वयं के खर्च पर सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा के उद्देश्य से और एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हो सकती है और पूर्व अनुमति के साथ कार्य स्थल का निरीक्षण करना चाहिए और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों से खुद को परिचित करना चाहिए। कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित मामले। ऐसे मामलों में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।

पाँच. **बोली-पूर्व बैठक:** - निविदा के बारे में किसी भी तरह की चर्चा/स्पष्टीकरण के लिए 10 फरवरी, 2026 को 14:30 बजे, पी एंड एस अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंगलुरु में एक पूर्व-बोली बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा।

छः. निविदा में सफाई सामग्री की आपूर्ति के लिए उद्धृत दरें सभी स्थानों, भवनों, फर्शों आदि के लिए साइट पर आवश्यक सामग्री, उपकरण और मशीनरी सहित संपूर्ण मदों के लिए होंगी। इस दर में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा काम के अनुबंध पर जीएसटी+ कोई अन्य कर, शुल्क, लेवी भी शामिल होगी। दरें निश्चित होंगी और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित वैधानिक न्यूनतम मजदूरी में यदि कोई परिवर्तन हो, तो उन्हें छोड़कर, विनिमय भिन्नताओं, श्रम शर्तों, रेलवे मालभाड़े में उतार-चढ़ाव या किसी भी शर्त के अधीन नहीं होंगी। दरों में परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग, माल ढुलाई शुल्क, पारगमन बीमा आदि भी शामिल होंगे। बोलीदाताओं को परिसर का दौरा करके यदि आवश्यक हो तो वास्तविक आवश्यकता का आकलन करना आवश्यक है।

सात. संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार किए गए और कार्यवाहक और बैंक के अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्य के संतोषजनक समापन के बाद मासिक आधार पर (आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से बैंक खाते में जमा करके) भुगतान किया जाएगा।

आठ. **निविदा के भाग-II** में कोई शर्त नहीं होगी, बल्कि मात्रा की अनुसूची में केवल मूल्य बोली होगी।

नौ. भाग-II में दस्तावेज में कार्य की प्रत्येक वस्तु के लिए निर्दिष्ट कॉलम में आंकड़ों में प्रारूप (भाग-II) के अनुसार मूल्य का विस्तृत विवरण के साथ केवल भारतीय रुपये में मूल्य शामिल होंगे। काम की सभी मदों को उद्धृत किया जाएगा।

दस. **दरें:**

अ) दरें दृढ़ होंगी और अनुबंध की पूरी अवधि और/या उसके विस्तार के लिए वैध होंगी और विनिमय भिन्नताओं, श्रम शर्तों, माल ढुलाई शुल्क में उतार-चढ़ाव या किसी भी शर्त के अधीन नहीं होंगी।

आ) निविदा में उद्धृत दरों में सभी शुल्क शामिल होंगे। निविदाकर्ताओं को अपनी दरों में माल और सेवा कर और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य प्रचलित कर, रॉयल्टी और शुल्क, यदि लागू हो, को शामिल करना चाहिए। माल और सेवा कर और किसी भी अन्य कर, शुल्क या लेवी के संबंध में कोई अलग दावा, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य, नियोक्ता द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ग्यारह. **एकमुश्त आधार पर नौकरी का काम:** ठेकेदार ध्यान देगा कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा एकमुश्त आधार पर नौकरी के काम पर सख्ती से है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक नौकरी के लिए दरें सही, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। कार्य के दायरे (खंड एच) के तहत दी गई मात्रा लगभग कार्य की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि छोड़ी जा सकती है, इस प्रकार अनुबंध के कुल मूल्य को बदल दिया जा सकता है। ऐसे मामले में दावे पर आनुपातिक आधार पर विचार किया जाएगा।

बारह. **निविदा प्रारूप:** निविदाकर्ता दरों को भरने के लिए केवल बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म का उपयोग करेगा। निविदाकर्ता द्वारा किए गए निविदा प्रपत्र के पाठ में कोई भी जोड़/परिवर्तन वैध नहीं होगा और इसे अमान्य और शून्य माना जाएगा।

तेरह. **निविदा का उद्घाटन:**

अ) **निविदाओं का भाग-I** निविदा अनुसूची (24 फरवरी, 2026) के अनुसार खोला जाएगा। यदि इस दिन अवकाश होता है, तो निविदाओं को बैंक के अगले कार्य दिवस पर निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो निविदाकर्ताओं द्वारा उपस्थित होना चुनते हैं। एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्राधिकरण पत्र की आवश्यकता होगी।

आ) निविदाकर्ता द्वारा दी गई किसी भी अतिरिक्त शर्त को स्वीकार करना बैंक के लिए बाध्य नहीं है।

इ) बैंक निविदा के भाग - I को खोलने और निविदा के भाग-II को प्रस्तुत करने के बाद भी मूल्य बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ई) निविदा का भाग- II बाद की तारीख को खोला गया, जिसे निविदाओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।

चौदह. 24 फरवरी, 2026 को 1000 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं की जाएगी।

पंद्रह. **भाग- I का मूल्यांकन:** भाग- I का मूल्यांकन [अनुलग्नक VI में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा](#) और इस प्रकार प्राप्त अंकों का उपयोग सफल बोलीदाता को तय करने के लिए किया जाएगा, बशर्ते कि एक से अधिक एजेंसियों की वित्तीय बोलियां L1 के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएं।

सोलह. **अयोग्यता - गुम और अहस्ताक्षरित दस्तावेज:** निविदा फॉर्म केवल अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज गुम है या अहस्ताक्षरित है, तो निविदा को बैंक द्वारा अपने विवेक पर अमान्य माना जा सकता है।

सत्रह. **स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार:** भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। निविदाकर्ता जिसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदाओं को प्रस्तुत करने के माध्यम से या उसके संबंध में उसके द्वारा किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक को निविदा को संशोधित करने/वापस लेने का अधिकार हो

अठारह. **निविदा की वैधता:** कीमतों के साथ निविदा भाग- I के खुलने की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए शुरू में वैध रहेगी, जिसे निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा या उद्धृत दरों को नहीं बदलेगा। तकनीकी बोली खोलने के बाद निकासी के मामले में ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा। यह अनुबंध **01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027** तक एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यह समझौता दोनों पक्षों की सहमति, ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई संतोषजनक सेवाओं के आधार पर अधिकतम दो अतिरिक्त वर्षों तक वार्षिक रूप से नवीनीकृत किया जा सकता है, जब तक कि इसे इसमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार समाप्त नहीं किया जाता है। अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद, वार्षिक आधार पर और समान शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार अनुबंध का नवीनीकरण किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज और किसी भी स्पष्टीकरण (सुधार) में निहित शर्तें और प्रावधान इस समझौते का अभिन्न अंग माने जाएंगे और पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। जब भी केंद्र सरकार के मुख्य आयुक्त द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत पहरा एवं रखरखाव (हथियारों के साथ/बिना) के कार्यों में नियुक्त कर्मचारियों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी, तो अनुबंध मूल्य में संशोधित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वृद्धि/एस्केलेशन दी जाएगी। अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद, वार्षिक आधार पर और समान शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार अनुबंध का नवीनीकरण किया जा सकता है।

उन्नीस. **कार्य का व्यापक दायरा:** कार्य का दायरा निविदा दस्तावेज में दिए गए अनुसार होगा।

बीस. **निम्नतम निविदा आवश्यक रूप से स्वीकार नहीं की जानी चाहिए:** बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने या किसी भी निविदा को स्वीकार न करने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। निविदाकर्ता जिसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदाओं को प्रस्तुत करने के माध्यम से या उसके संबंध में उसके द्वारा किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित/वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

इक्कीस. अनुबंध अवधि के दौरान बयाना धन और प्रदर्शन गारंटी:

अ) निविदाकार एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ₹3,28,248/-, (केवल तीन लाख अट्ठाईस हजार दो सौ अड़तालीस रुपये) की राशि बयाना राशि जमा के रूप में भुगतान करेंगे। किसी भी परिस्थिति में ईएमडी को बैंक की सावधि जमा या चेक आदि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुबंध प्रदान करने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध की देय पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के लिए बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र (जो स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा) में किसी भी अनुसूचित बैंक से प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में अनुबंध मूल्य के 5% की राशि प्रस्तुत करेगा।

आ) सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बयाना राशि जमा प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के बाद कार्य प्रदान करने के एक महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा जमा के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी पूरी अनुबंध अवधि के लिए मान्य होगी।

इ) इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजे या अन्य राशि को देय बिल राशि/सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है।

बाईस. भुगतान की शर्तें: इस अनुबंध के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा और भुगतान के तरीके में कोई बदलाव भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वीकार्य नहीं होगा।

तेईस. कर: उद्धृत कीमतों में केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए सभी कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्थानीय लेवी, कार्य अनुबंध कर आदि शामिल हैं। यदि निविदाकर्ता ऐसे करों और शुल्कों को निविदा में शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, स्रोत पर आयकर काटा जाएगा और ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

चौबीस. सुरक्षा-कवच:

अ) सफल निविदाकर्ता अनुबंध मूल्य के लिए "सभी जोखिम नीति" और अनुबंध की अवधि के लिए काम में लगे श्रमिकों के लिए कामगार मुआवजा नीति लेगा।

ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो जनता के किसी भी सदस्य या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा नियोक्ता के खिलाफ की जा सकती हैं, जो कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है और अपने स्वयं के खर्चों पर एक अनुमोदित कार्यालय के साथ अनुबंध के आभासी समापन तक प्रभावी और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा, ऐसे जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता (पहला नाम) और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर बीमा की एक नीति और इस अनुबंध की मुद्रा के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करें।

आ) ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों के लिए और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए जिम्मेदार होगा जो स्वयं या उसके किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी भी अन्य मामले से उत्पन्न हो, जो भी अनुबंध के संचालन से जुड़ा हो। इस खंड में, अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को कोई भी नुकसान, चाहे वह तत्काल आसन्न हो या अन्यथा और सड़कों, सड़कों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को होने वाले किसी भी नुकसान के साथ-साथ इस अनुबंध का विषय बनाने वाली इमारतों और कार्यों को होने वाली सभी क्षति, ठंड या मौसम की अन्य अशांति से शामिल किया जाएगा। ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे उपरोक्त रूप में व्यक्तियों या संपत्ति को किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में हानिरहित ठहराएगा और भारत सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में या अन्यथा और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी।

नोट: ये नीतियां काम पूरा होने तक वैध रहेंगी। यदि ठेकेदार इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

पच्चीस. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर: निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और इससे पहले निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न अनुबंध की शर्तों और तकनीकी विनिर्देशों को संदर्भित किया गया है, बैंक और निविदाकर्ता के बीच आदान-प्रदान किए गए बाद के पत्राचार और दिए गए कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ दर्ज किए जाने वाले अंतिम अनुबंध का आधार होंगे।

छब्बीस. निविदाकर्ता इसके साथ अनुबंध की सामान्य शर्तों में दिए गए नियमों और शर्तों के माध्यम से जाएगा और उसका प्रस्ताव उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप सख्ती से होगा। निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए कि वह अनुबंध की सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि में स्वयं को परिचित और स्वीकार करता है।

सत्ताईस. एक फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

अठ्ठाईस. बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। करार पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार का गठन करेगी, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

उन्तीस. ठेकेदार अनुबंध नहीं सौंपेगा। वह अनुबंध के किसी भी हिस्से को उप-पट्टे/प्रत्यायोजित नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता ठेकेदार को अनुबंध को रद्द करने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता को सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

तीस. भाषा: सभी दस्तावेजों आदि सहित निविदा अंग्रेजी में होगी। हालांकि, अनुबंध को द्विभाषी बनाया जाएगा।

इक्तीस. पार्ट टेंडर स्वीकार करने का अधिकार: बैंक निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत समान कीमतों पर या तो पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बत्तीस.अन्य मुद्दे: ठेकेदार बैंक के अधिकारियों के विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा। यदि बैंक के अधिकारियों की राय में, साइट की स्थिति के अनुरूप नाममात्र परिवर्तन किए जाने हैं और नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा।

तैंतीस. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान:

अ) किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो भी अनुबंध से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या इसके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध की समाप्ति या परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा। लेकिन अगर ठेकेदार किसी मामले पर असंतुष्ट है, तो वह इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर, दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है जिसमें यह आवश्यक है कि विवाद में मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को

निर्दिष्ट करेगी, जो विवाद या मतभेद में हैं जिनमें से ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो सकता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ या अंपायर के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

आ) मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय, मांग या नोटिस, पिछले खंड में संदर्भित मामलों को छोड़कर, और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा।

इ) मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना पुरस्कार देगा (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके द्वारा तय किया जा सकता है या जैसा भी मामला पार्टियों की सहमति से हो सकता है) संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पार्टियां आपसी रूप से अपने विवाद या अंतर को सुलझाती हैं या समझौता करती हैं, पार्टियों द्वारा निपटान या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते या समझौते के संदर्भ में एक पुरस्कार देगा।

ई) इस तरह के किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए आकस्मिक लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकता है या पार्टी के बीच कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है और निर्देशित करेगा कि किसके द्वारा और किसके लिए और किस तरीके से इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

उ) इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार एतद्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

(च) यह करार बेंगलुरु स्थित माननीय कर्णाटक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

34. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/नियमों और ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम/नियमों और अन्य कानूनों/नियमों/अधिसूचनाओं की आवश्यकताओं का अनुपालन, जैसा लागू हो:

अ) ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970/ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केंद्रीय नियम, 1971 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत खुद को पंजीकृत कराने के लिए जिम्मेदार होगा, जब भी आवश्यक हो। ठेकेदार ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (आर एंड ए) केंद्रीय नियम, 1971 के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा और श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय के तहत और उसके तहत निर्धारित सभी रिकॉर्ड को बनाए रखना सुनिश्चित करेगा।

आ) संविदाकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के उपबंधों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अपने कामगारों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के तहत अपेक्षित न्यूनतम मजदूरी के संबंध में प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

इ) ठेकेदार ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 / ठेका श्रम (आर एंड ए) केंद्रीय नियम, 1971, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम 1950 और राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी लागू श्रम और सामान्य कानून/नियमों और अधिसूचनाओं के तहत आवश्यक सभी दस्तावेजों, रजिस्ट्रों और रिकॉर्ड को बनाए रखेगा और नियोक्ता या उसके अधिकारियों और अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा। श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण जो संबंधित कानूनों/नियमों के तहत ऐसी शक्तियों से सम्मानित है।

ई) ठेकेदार समय-समय पर जारी अपनी अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में लागू किए गए किसी भी परिवर्तन का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होगा और उक्त परिवर्तनों को लागू करेगा और तत्काल प्रभाव से तदनुसार अपने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करेगा और इस संबंध में सभी रिकॉर्ड को अद्यतन रखेगा और नियोक्ता को बिना किसी देरी के आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करते हुए उक्त विकास के साथ तैनात करेगा।

उ) ठेकेदार अपने कामगारों पर लागू श्रम कानूनों की संपूर्ण वैधानिक शर्तों और आवश्यकताओं जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, पीएफ का भुगतान, ईएसआई अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम, आदि और राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य लागू कानून/विनियम/नियम अधिसूचनाओं के उचित अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।

ऊ) नियोक्ता, किसी भी तरह से, ठेकेदार की ओर से किसी भी कार्य, चूक या कमीशन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में कोई दावा नियोक्ता या उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ नहीं होगा।

ऋ) बैंक में ठेका कार्य निष्पादित करने के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात श्रमिकों के लिए उपयुक्त एजेंसी को पीएफ (नियोक्ता और कर्मचारी) और ईएसआई के सांविधिक अंशदान के प्रेषण का प्रमाण, चयनित ठेकेदार/एजेंसी द्वारा दावा बिल के साथ हर महीने बैंक को प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर दावा बिल का निपटान नहीं किया जाएगा।

ऌ) लागू वेतन संहिता, 2019 (वेतन संहिता), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (आईआर कोड), सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस कोड) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 (ओएसएच कोड, सामूहिक रूप से वेतन संहिता, आईआर कोड और एसएस कोड) का अनुपालन न करने के कारण ठेकेदार को किसी भी दावे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

35. बैंक के परिसर में प्रवेश करने के लिए सभी कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों/अधिकारियों का पुलिस सत्यापन: एजेंसी अपने कर्मियों के चरित्र और पूर्ववृत्त पर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और आयु, शैक्षिक योग्यता, नाम और स्थायी पता, संपर्क नंबरों से संबंधित अन्य विवरण प्राप्त करेगी, साथ ही उन्हें बैंक के परिसर में ड्यूटी के लिए नियुक्त करने से पहले उनके पासपोर्ट आकार के फोटो भी प्राप्त करेगी। केवल 21-40 वर्ष की आयु के बीच सक्षम शरीर, शारीरिक रूप से फिट, अच्छी तरह से प्रशिक्षित, साक्षर, सुसंस्कृत और ईमानदार कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इस आशय का प्रमाण पत्र कि बैंक की सेवाओं में तैनात सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन किया जा चुका है और फर्म के पास उपलब्ध हैं, अनुबंध शुरू होने के एक महीने के भीतर बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैंक अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय इन्हें सत्यापित कर सकता है।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है तो यह मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

मुहर के साथ अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर तिथि:
पता:

खंड जी

भाग I: तकनीकी बोली

से

तक
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
10/3/8, नृपतुंगा रोड
बेंगलुरु- 560001

<u>दक्षिणी। नहीं</u>	<u>विवरण</u>	<u>निविदाकर्ता द्वारा भरा जाने वाला विवरण</u>
1.	संगठन का नाम	
2.	(अ) प्रकार का संगठन – (क्या प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी) (आ) स्थापना की तिथि (इ) पंजीकरण (फर्म, कंपनी आदि), पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि, संख्या आदि का विवरण (एकल स्वामित्व के मामले में लागू नहीं)। कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें	
3.	पदनाम के साथ संगठन के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम	
4.	टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर के साथ संगठन का पंजीकृत कार्यालय/व्यावसायिक पता। और ई-मेल। (क) क्या बंगलूरु में इसका अपना कार्यालय है; (ख) बेंगलूरु में स्थानीय कार्यालय का पता। (ग) प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर। कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।	

5.	कार्य अनुभव - पात्रता मानदंड और नियम और शर्तों में आवश्यकता के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण, कार्य आदेश, दस्तावेज और प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित। इसी तरह की सेवाओं के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण या किसी भी केंद्र में भारतीय रिज़र्व बैंक या सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी दिया जाना चाहिए।	
6.	क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत वाषक कारोबार एक करोड़ चौंसठ लाख बारह हजार चार सौ तेईस रुपये या उससे अधिक है जो रखरखाव और हाउसकीपिंग के व्यवसाय के संबंध में है। (संलग्न किए जाने वाले सहायक दस्तावेज)	
7.	तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न: वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023 – 24 और वित्तीय वर्ष 2024 – 25	
8.	पिछले तीन वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की प्रति।	
9.	क्या ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और विनियमन) के तहत श्रम विभाग के साथ पंजीकृत है या नहीं। उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 यदि हाँ, तो पंजीकरण की तारीख इंगित करें। (प्रमाण पत्र/पंजीकरण की एक प्रति जमा की जानी है)।	
10.	बैंकर का नाम और पता। निविदाकर्ता की वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंकर प्रमाण पत्र बैंकर द्वारा इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार अपने लेटरहेड पर दिया जाना है। (अनुलग्नक - I)	
11.	मौजूदा ग्राहकों का नाम और पता पूर्ण विवरण के साथ। शीर्ष तीन मौजूदा ग्राहकों से ग्राहक रिपोर्ट इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार आवश्यक है (अनुलग्नक - II)	
12.	बैंक खाता (आईएफएससी कोड और खाता संख्या) जहां संगठन द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।	
13.	कोई भी विवाद (सांविधिक प्राधिकारियों सहित) लंबित है और कार्यवाही के चरण का विवरण है।	

14.	इंगित करें कि क्या किसी मुकदमेबाजी में शामिल है	
15.	कोई भी विवाद (वैधानिक प्राधिकारियों सहित) लंबित है और कार्यवाही के चरण का विवरण है।	
16.	जहां भी लागू हो, पैन, टिन और जीएसटी पंजीकरण की प्रति।	
17.	ईपीएफ पंजीकरण संख्या	
18.	ईएसआई पंजीकरण संख्या	
19.	ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम के तहत लाइसेंस संख्या	
20.	उन संगठनों के दो संदर्भ जिनके साथ निविदाकर्ता वर्तमान में एक समान कार्य निष्पादित कर रहा है।	
21.	₹3,28,248/- का आरटीजीएस/एनईएफटी, (केवल तीन लाख अट्ठाईस हजार दो सौ अड़तालीस रुपये मात्र) भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु के नामित खाते में प्रेषित किया गया, जो बयाना राशि जमा (ईएमडी) का प्रतिनिधित्व करता है।	
22.	अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नियमों और शर्तों की प्रति।	
23.	कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है या बैंक द्वारा मांग की गई है।	

नोट: बैंक उपर्युक्त विवरणों में से किसी के प्रमाण/सत्यापन के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घोषणा

(कंपनी के लेटर हेड पर तकनीकी बोली में प्रस्तुत किया जाना है, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित)

एक. मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई जानकारी गलत या गलत पाई जाती है, तो मुझे/हमें निविदा प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है/अनुबंध से सम्मानित किया जा सकता है।

दो. मैं/हम बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं जैसा कि [अनुलग्नक-1](#) में उल्लिखित है।

तीन. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिस पर नियोक्ता/बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है।

चार. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक), बेंगलुरु किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांक this _____ दिन of _____ 2026।

दस्तखत देखिए।:

नाम:

ठेकेदार की मुहर:

खंड एच

कार्य का दायरा

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु के मुख्य कार्यालय परिसर (अनुलग्नक भवन सहित) में रखरखाव और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

विहंगावलोकन:

हाउसकीपिंग स्टाफ कार्यालय परिसर, कैश एरिया और पुलिस लाइनों की सफाई के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें कॉरिडोर, लिफ्ट लॉबी, सीढ़ियां, पूरे परिसर क्षेत्र, वाहन पार्किंग क्षेत्र, आंतरिक सड़कों और परिधि की दीवार के साथ आंतरिक क्षेत्र, मुख्य द्वार के सामने फुटपाथ, सेंट मार्था अस्पताल को जोड़ने वाला अंडरपास, आईएसएस (रिसेप्शन), सीआरडीएस, एनेक्स बिल्डिंग, आस-पास के क्षेत्र और परिधि की दीवार के साथ स्थित सभी सुरक्षा गार्ड पोस्ट शामिल हैं। बैंक के पूरे परिसर में स्थित शौचालय/शौचालय।

सुबह सफाई की गतिविधि सुबह 7.30 बजे शुरू होनी चाहिए और कार्यालय के संचालन के लिए सुबह 9:00 बजे से पहले पूरी हो जानी चाहिए। एजेंसी को रविवार और छुट्टी को छोड़कर सप्ताह के सभी छह कार्य दिवसों पर प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों को तैनात करना आवश्यक है। केयरटेकर के परामर्श से बैंक के अन्य क्षेत्रों में शनिवार को विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह पूर्व सूचना के साथ चुनिंदा छुट्टियों पर भी एजेंसियों के कर्मचारियों की तैनाती कर सकता है।

तैनात किए जाने वाले सफाई/हाउसकीपिंग व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 02 पर्यवेक्षक (एक पुरुष और एक महिला) और सफाई/हाउसकीपिंग के लिए 38 कर्मचारी (19 पुरुष और 19 महिला) होंगे। कुल 40 होंगे। बैंक अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय काम देने से पहले तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मासिक भुगतान महीने के दौरान तैनात कुल जनशक्ति (मानव दिवस) के अनुसार किया जाएगा। पर्यवेक्षकों और श्रमिकों को शिफ्टों में काम करना पड़ सकता है (पहली शिफ्ट- सुबह 07.30 बजे से दोपहर 03.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट- सुबह 09.30 बजे से शाम 05.30 बजे तक)। प्रत्येक पाली में व्यक्तियों की अपेक्षित संख्या की सूचना बैंक के कार्यवाहक द्वारा दी जाएगी।

1. मुख्य कार्यालय परिसर के सामान्य क्षेत्र/सामान्य क्षेत्र, नकदी क्षेत्र और अनुलग्नक भवन। और II सहित पुलिस लाइन:

- अ) ठेकेदार सभी सफाई कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे जैसे कि प्रत्येक मंजिल में सामान्य क्षेत्र की सफाई और पोछा, सभी मंजिलों पर मार्ग और लॉबी, मुख्य कार्यालय भवन में सभी मंजिलों में स्थित प्रत्येक केबिन की सफाई। प्रत्येक विभाग/अनुभाग में टेबल, कुर्सियों और वर्कस्टेशनों की सफाई।
- आ) बैंक के पूरे परिसर, कैश एरिया, एनेक्स भवनों, परिसर में सभी लिफ्टों और लिफ्ट लॉबी सहित आस-पास के क्षेत्रों में स्थित शौचालयों/शौचालयों की सफाई/रखरखाव के साथ-साथ सीढ़ियों की सफाई और सफाई करना।
- इ) कैश एरिया की स्वाइपिंग और पोछा लगाना जिसमें कोषाध्यक्ष के गेट से क्षेत्र शामिल है, डीडी बैंकिंग, क्लेम सेक्शन सीवीपीएस, आईपी सीसीटीवी कंसोल रूम, सभी वॉल्ट, वॉल्ट कॉरिडोर, श्रेडिंग एरिया, सेफ्टी यार्ड और पुलिस लाइन/डॉर्मिटरी शामिल हैं।
- ई) भूतल पर बैंकिंग हॉल की झाड़ू लगाना और पोंछना, बैंकिंग हॉल के काउंटरों पर कांच के शीश, बैंक के सभी विभागों के स्टोररूम, बुक वॉल्ट, रिकॉर्ड रूम आदि की सफाई
- उ) फ्रंटल ड्राइववे, फ्रंट पार्किंग क्षेत्र, रियर पार्किंग क्षेत्र और बैंक के पूर्ण परिधीय क्षेत्र की सफाई।

- ऊ) बैंक की आवश्यकता के अनुसार सम्मेलन कक्षों, व्याख्यान कक्ष और बोर्ड कक्ष की सफाई।
- ऋ) चौथी मंजिल पर स्थित ऑफिसर्स लाउंज और डाइनिंग रूम की सफाई और बैंक के निर्देशों के अनुसार लाउंज में विविध कार्यों को पूरा करना।
- लृ) बैंक के परिसर के बाहर पैदल चलने वालों के रास्ते और अंडरपास की सफाई
सेंट मार्था अस्पताल को जोड़ने वाली नृपतुंगा रोड
- एँ) सुबह सफाई की गतिविधि सुबह 7.30 बजे शुरू होनी चाहिए और कार्यालय के संचालन के लिए सुबह 9:00 बजे से पहले पूरी हो जानी चाहिए।
- ऐ) शनिवार या छुट्टियों के दिन बैंक के निर्देशों के अनुसार सुरक्षा/नकद क्षेत्र सहित मुख्य कार्यालय परिसर में विशिष्ट क्षेत्रों की विशेष सफाई।
- ए) इमारतों के मार्गों/बरामदे और सीढ़ियों को पाक्षिक रूप से डिटर्जेंट, लिज़ोल, फिनाइल या समकक्ष और अन्य आवश्यक सफाई सामग्री से धोया जाएगा। झाड़ू लगाना और पोंछना सुबह और दोपहर दोनों समय किया जाएगा।
- ऐ) दीवार, खिड़कियों, छत और आवश्यकतानुसार क्षेत्रों से मकड़ी के जाले, दाग, गंदगी को हटाना।
- ऑ) एनेक्स बिल्डिंग I - कैफेटेरिया (स्टाफ कैटीन) और शौचालयों/शौचालयों और स्पोर्ट्स क्लब परिसर के आस-पास के क्षेत्रों की सफाई और पोछाई करना। एनेक्स भवन में व्यायामशाला, कन्नड़ संघ कार्यालय, संघ और संघ कार्यालय कक्ष, सहकारी समिति और औषधालय और गलियारों की सफाई और पोछा।
- ओ) अनुलग्नक भवन II - क्षेत्रीय निदेशक के निवास, शौचालय, लिफ्ट और लिफ्ट लॉबी, सीढ़ियों और अन्य सामान्य क्षेत्रों की सफाई और पोछा।
- ओ) बैंक के परिसर में विभिन्न स्थानों पर स्थित वाटर डिस्पेंसर/वाटर प्यूरीफायर के आसपास के क्षेत्रों की सफाई। भूतल से पानी के बुलबुले प्रदान करना और विभिन्न मंजिलों में विभागों में वितरित करना। पानी के डिस्पेंसर पर पानी के बुलबुले रखना और दैनिक आधार पर विभिन्न विभागों से खाली बुलबुले को वापस इकट्ठा करना और भूतल में व्यवस्था करना।
- औ) मुख्य कार्यालय भवन, एनेक्सी भवन, ऑफिसर्स लाउंज और आसपास के क्षेत्रों की सभी मंजिलों से कचरा एकत्र करने के साथ-साथ इसके लिए निर्धारित स्थान पर इसका निपटान करना।
- अं) गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों पर कोई भी विशेष सफाई बैंक के निर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए।
- अः) स्वच्छता बनाए रखने के लिए निरंतर सफाई और कार्यालय समय के दौरान बैंक में फर्श और सामान्य क्षेत्र की पोछा लगाई जानी चाहिए ताकि यह एक साफ और सूखा लुक बनाए रखे।
- अअ) पर्यवेक्षकों और हाउसकीपिंग स्टाफ के पास बुनियादी अग्निशमन कौशल होना चाहिए और उन्हें विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- आआ) आवश्यकता के अनुसार कुर्सियों, मेजों और अन्य विविध वस्तुओं को स्थानांतरित करना।

2. मुख्य कार्यालय परिसर में शौचालय/शौचालय:

- अ) मुख्य कार्यालय परिसर और एनेक्स बिल्डिंग में लगभग 55 वॉशरूम (लेडीज एंड जेंट्स) संयुक्त हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के सभी शौचालयों और शौचालयों में शौचालय/शौचालयों की सफाई

के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें शौचालय के बर्तन और सीट, मूत्रालय के बर्तन, प्लेटफार्म, सिंक, वॉश बेसिन, टाइल्स, फर्श, रैक, कांच के दर्पण आदि शामिल हैं।

आ) शौचालयों के अंदर फर्श और दीवार के डैडो को पूरी तरह से झाड़ू, धोना, पोछा लगाना और साफ़ करना। उपयुक्त सिरमिक टाइलों के साथ शौचालय के फर्श और टाइलों की धुलाई हर दिन सफाई सामग्री।

इ) शौचालयों/शौचालयों की दीवारों की सफाई और छत को मकड़ी के जाले, गंदगी, दाग आदि से मुक्त रखना।

ई) खिड़कियों, खिड़कियों, ग्रिल, दरवाजे, वेंटिलेटर, एग्जॉस्ट फैन, छत, दीवार डैडो, प्लंबिंग और सैनिटरी फिटिंग और फिक्स्चर, ग्लेज्ड वेंटिलेटर आदि की सफाई

उ) दीवार, छत, पेल्टेट और दुर्गम स्थानों से मकड़ी के जाले, दाग, गंदगी को हटाना।

ऊ) वॉश रूम में प्रदान किए गए सहायक उपकरण जैसे बाल्टी/मग/साबुन के मामले आदि की सफाई।

ऋ) शौचालयों/शौचालयों की सफाई की आवश्यक आवृत्ति दिन में प्रति घंटे एक बार (कार्यालय समय के दौरान हर घंटे) होगी।

लृ) सभी शौचालयों के फ्लशिंग सिस्टम की हर दिन नियमित अंतराल पर जांच की जानी है।

एँ) तरल हाथ धोने। एजेंसी द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले और आईएसआई और इको मार्क वाले टॉयलेट रोल और पेपर नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक शौचालय में इन सामग्रियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। प्रत्येक वॉशरूम में डिस्पोजेबल पॉलीबैग से लैस डस्टबिन रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

ऐ) वॉशरूम और आसपास के क्षेत्र में रखे डस्टबिन को नियमित आधार पर निर्धारित स्थानों पर खाली किया जाएगा।

ए) सैनिटरी फिटिंग, नल आदि के सभी निकल भागों को साफ करें और उन्हें हमेशा चमकदार स्थिति में रखें।

ऐ) वॉशरूम में साबुन डिस्पेंसर को नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले तरल साबुन (नवीनतम बीआईएस मानक की पुष्टि करने वाले आईएसआई और इको मार्क वाले) के साथ टॉप अप किया जाना चाहिए।

ऑ) सभी सफाई सामग्री और उपकरण सेवा प्रदाता/एजेंसी/फर्म द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

ओ) सीपी फिक्स्चर/टाइल्स/फर्श आदि को नुकसान से बचाने के लिए सफाई के लिए उपयुक्त सफाई सामग्री का उपयोग किया जाएगा। सफाई के लिए उपयोग की जाने वाली सफाई सामग्री मानक गुणवत्ता (आईएसआई और इको मार्क असर) की होगी।

ओ) एजेंसी को बैंक द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित अनुमोदित/किसी भी अन्य समकक्ष सफाई सामग्री का उपयोग करना चाहिए:

(i) सफाई सामग्री –

मासिक आधार पर आवश्यक सफाई सामग्री की सांकेतिक सूची (संपूर्ण नहीं):

ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अनुबंध अवधि के दौरान हाउसकीपिंग कार्य के लिए सुचारू गतिविधियों के लिए आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं के स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। उपभोज्य वस्तुएं नीचे उल्लिखित प्रतिष्ठित निर्मित/ब्रांड की होनी चाहिए।

क्रम संख्या	आइटम	अनुमानित मात्रा प्रति माह आवश्यक	टिप्पणियां
1	समतुल्य का लिज़ोल (फ़्लोर क्लीनर)	30 लीटर	
2	अच्छी गुणवत्ता वाले फुल जादू/झाड़ू	10 नग	
3	अच्छी गुणवत्ता वाले नारियल झाड़ू	20 नग	
4	कॉलिन या समकक्ष (ग्लास क्लीनर) 750 मिली	15 नग	
5	डेटॉल या समकक्ष (कीटाणुनाशक)	30 लीटर	
6	फिनाइल या समकक्ष	25 लीटर	
7	हार्पिक पावर क्लीनर (नीला) या समकक्ष -750 मिली (शौचालय)	30 नग	
8	एचआरटी। रोल – 1 किलो	120 नग	
9	कचरा प्लास्टिक कवर (जंबो) 71 माइक्रोन	40 किलो	
10	कचरा प्लास्टिक कवर (छोटा)	50 रोल	
11	रूम फ्रेशनर (300 ग्राम)	35 नग	
12	यूरिनल केक (सफेद क्यूब्स)	120 नग	
13	माइक्रोफाइबर कपड़ा (वरिष्ठ अधिकारियों के केबिन के लिए)	30 नग	
14	मोपिंग स्टिक	25 नग	
15	फेम लिक्विड सोप – 1 लीटर (हैंड वॉश)	05 नग	
16	लिक्विड फ्लोर वॉश	20 लीटर	
17	वेव यूरिनल स्क्रीन मैट या समकक्ष	120 नग	
18	एम फोल्ड (प्रत्येक बॉक्स 20) -टिशू पेपर	15 बॉक्स	
19	टॉयलेट टिशू रोल	250 नग	
20	ड्राई मोप्स	05 नग	
21	डेटॉल लिक्विड या समकक्ष (हैंड वॉश) - वॉशरूम में	50 लीटर	

22	हिट स्प्रे या समकक्ष	10 नग	
23	टास्की डी.7	05 लीटर	
24	प्रीमियर फेस टिशू बॉक्स या समकक्ष	20 नग	
25	कचरा कवर बैग सफेद (जंबो कवर)	20 किलो	
26	माउथ फ्रेशनर (लिस्टरीन कूल मिंट या समकक्ष – 250 मिली)	02 नग	
27	हार्पिक ब्लू फ्लश मैटिक	40 नग	
28	टास्की आर 5	15 लीटर	
29	लाल हार्पिक या समकक्ष 750 मिली	04 नग	
30	कपड़ा की जाँच करें	30 नग	
31	ड्रेनेज पाउडर या समकक्ष	15 नग	
32	नेफ़थलीन बॉल्स	2 किलो	
33	ओडोनिल या समकक्ष	120 नग	

ऊपर दिखाए गए ब्रांड नाम सांकेतिक हैं। निविदाकर्ताओं को बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य समकक्ष वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

नोट: उपरोक्त मात्राएँ अनुमानित हैं और वास्तविक आवश्यकताएँ उपयोग के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी दिन सामग्री की कमी न हो। प्रत्येक वस्तु की पर्याप्त मात्रा में अग्रिम रूप से पर्याप्त मात्रा में स्टॉक करने की आवश्यकता होती है।

आवश्यक मशीनरी/सुरक्षा उपकरण

उत्तर नहीं	समाचार	बड़ तादाद
1	जेट मशीन	01
2	सिंगल डेस्क मशीन	01
3	औद्योगिक प्रयोजन वैक्यूम क्लीनर	02
4	सावधानी बोर्ड	12

5	रिंगर ट्रॉली	10
6	उच्च स्तरीय कंघी वेब स्टिक	01
7	ग्लास सफाई किट	02

दूसरों

(ii) मग, बाल्टी, नेफ्रथलीन बॉल्स और हैंड वॉश लिक्विड डिस्पेंसर सभी शौचालयों/शौचालयों में हर समय उपलब्ध कराए जाएंगे।

औ) एजेंसी को समय-समय पर बैंक द्वारा सलाह के अनुसार ऊपर दिखाए गए या बैंक द्वारा अनुमोदित सफाई सामग्री की आपूर्ति करने का कार्य करना चाहिए। इस संबंध में बिलों का निपटान बैंक द्वारा इस आशय के प्रमाणन की उचित प्रक्रिया का पालन करके किया जाएगा कि आपूर्ति की गई वस्तुओं की स्थिति बैंक की संतुष्टि के अनुरूप थी। हालांकि, यह निविदाकर्ता द्वारा दी गई उद्धृत दर के अनुसार होगा

अं) सफाई सामग्री की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए सफाई सामग्री या किसी अन्य संबंधित उपकरण, सामग्री की खरीद और आपूर्ति के लिए उद्धृत राशि से अधिक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

अः) एजेंसी को अत्याधुनिक सफाई सुनिश्चित करने के लिए उपयोग के लिए सफाई सामग्री/मशीनों का स्टॉक रखना चाहिए जैसे कि स्क्रबिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डस्टर/मॉप्स, डिटर्जेंट/वाशिंग पाउडर, झाड़ू, स्पंज, कचरा बोरे, पॉलिश, फिनाइल, एसिड, सीढ़ी, पोल के साथ कोबवेब ब्रश, डस्टिंग के लिए विभिन्न प्रकार के ब्रश, स्टेन रिमूवर, ब्लीचिंग तरल और पाउडर, सफाई एसिड, आदि।

अअ) शौचालयों/सामान्य शौचालयों और सामान्य क्षेत्र की सफाई नियमित रूप से सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक और बीच में आवश्यकता के आधार पर सर्वोत्तम और ब्रांडेड सफाई समाधानों, सामग्री, मशीनीकृत स्क्रबिंग आदि के साथ की जानी चाहिए। शौचालयों में सूखे फर्श को कार्यालय समय के दौरान बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सफाई प्रगति पर होने का संकेत देने वाला डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जबकि सफाई चल रही है।

आआ) दैनिक आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि शौचालयों में सभी सामान/उपकरण जैसे नल/सिंक/गीजर/प्लश/शावर/अन्य सैनिटरी फिटिंग आदि काम करने की स्थिति में हैं और यदि नहीं, तो इसकी सूचना कार्यवाहक को दें। शौचालयों/शौचालयों में देखी जाने वाली सिविल, इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग आदि के बारे में शिकायतों का समाधान कार्यवाहक / एएमसी व्यक्तियों/एस्टेट विभाग को रिपोर्ट करके किया जाना चाहिए।

तीन. हाउसकीपिंग स्टाफ की संख्या: एजेंसी को दैनिक आधार पर न्यूनतम 40 व्यक्तियों को नियुक्त करना होता है, जिसमें 02 पर्यवेक्षक और 38 सफाई कर्मी (22 पुरुष और 16 महिलाएं) शामिल होते हैं। कार्यालय भवन रविवार और छुट्टियों के दिन बंद रहेगा और यदि इन दिनों के दौरान किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी कार्य की आवश्यकता होती है, तो उसे पहले से सूचित किया जाएगा। सभी शनिवार का उपयोग बैंक परिसर में शौचालयों/शौचालयों और अन्य क्षेत्रों की विशेष सफाई अभ्यास के लिए किया जाएगा। सफाई कार्य की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक को शनिवार सहित सभी कार्य दिवसों पर उपस्थित रहना होगा।

चार. एजेंसी को पर्यवेक्षक को वैध कनेक्शन के साथ एक समर्पित मोबाइल फोन प्रदान करना होगा। यह मोबाइल फोन ड्यूटी (दोनों शिफ्ट) पर तैनात सुपरवाइजर के पास रहेगा। कार्यालय में एक ही मोबाइल नंबर प्रसारित किया जाएगा।

पाँच. फर्श और दीवारों की स्क्रबिंग और सफाई; वैक्यूम का उपयोग किया जाना है, स्वचालित मॉपर/स्क्रबिंग मशीन का उपयोग सप्ताह में कम से कम दो बार किया जाना चाहिए।

छः. एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सामग्री/उपभोग्य वस्तुएं और अन्य संबंधित वस्तुएं आईएसआई मार्क, ब्रांडेड और अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। सफाई और हाउसकीपिंग के लिए आवश्यक सभी उपभोग्य वस्तुएं और डिस्पोजेबल पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए और एजेंसी द्वारा अपनी लागत पर खरीदे जाएंगे जिन्हें मूल्य बोली में शामिल किया जाएगा। एसिड या ऐसी किसी अन्य सामग्री और किसी भी घटिया सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित है। फर्म उपयोग की जाने वाली उपभोग्य सामग्रियों की मात्रा का आकलन करेगी और उन्हें अपने कर्मचारियों को अग्रिम रूप से आपूर्ति करेगी। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए रखरखाव और स्वच्छता को नुकसान उठाना चाहिए। यदि किसी घटिया सामग्री/उपभोग्य वस्तु का उपयोग किया जाता है तो बैंक के पास उचित समझे जाने पर जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित है।

(१) ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सफाई सामग्री और इस अनुबंध के तहत निष्पादित किए जा रहे सभी कार्य बैंक द्वारा निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए हर समय खुले रहेंगे।

(२) यदि निरीक्षण के दौरान, ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सामग्री अनुबंधित सामग्री से निम्न गुणवत्ता की है या अन्यथा अनुबंध के अनुसार नहीं है या किसी भी कार्य को अपूर्ण तरीके से निष्पादित किया गया है, तो बैंक ठेकेदार पर जुर्माना लगाएगा जैसा कि धारा -1 के पैरा -8 में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, ठेकेदार को सामग्री को तुरंत बदलना होगा और उक्त कार्य को अपनी लागत पर फिर से करना होगा।

(३) यदि ठेकेदार सामग्री को तुरंत बदलने में विफल रहता है या सेवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है, तो बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर ठेकेदार पर और जुर्माना लगाया जाएगा

सात. एजेंसी ऐसे स्थान पर कचरे के निपटान की व्यवस्था करेगी जो बैंक द्वारा अनुमत हो सकता है। लगे जनशक्ति को कचरे (बायोडिग्रेडेबल, नॉन-डिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल अपशिष्ट) के प्रबंधन में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि इस संबंध में सरकारी प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों और बीबीएमपी दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यावरण को प्रभावित किए बिना अपशिष्ट निपटान ठीक से किया जा सके।

आठ. दोनों पारियों के दौरान एक पर्यवेक्षक उपलब्ध होना चाहिए। सुपरवाइजर एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरंतर पर्यवेक्षण भी करेगा। उसे कार्यालय समय के दौरान हर घंटे वॉशरूम की जांच करनी चाहिए और उसी की एक लॉग बुक बनाए रखनी चाहिए। जॉब कार्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए वॉशरूम में बैंकों के कार्यवाहक साफ-सफाई की निगरानी करने के लिए बैंकों के कार्यवाहकों के लिए एक दैनिक जॉब कार्ड प्रदर्शित किया जाना है। लॉग बुक की समय-समय पर जांच की जाएगी और बैंकों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

नौ. दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर किए गए कार्यों के लिए लॉग बुक/रजिस्टर/रिकॉर्ड पर्यवेक्षक द्वारा बनाए रखा जाएगा और बैंकों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर और अंत में प्रत्येक महीने के अंत में प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

दस. ऊपर उल्लिखित गतिविधियों के अलावा, यदि निर्दिष्ट क्षेत्रों की हाउसकीपिंग से संबंधित कोई और कार्य करने की आवश्यकता है, तो इसे आवश्यकता के आधार पर बैंक के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

ग्यारह. बैंक के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर साफ-सफाई की जांच कुछ वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर की जाएगी, जो स्वच्छता के स्तर को मापने के लिए तय किए जाते हैं और एजेंसी को उन मानदंडों का पालन करना होता है। ये इस प्रकार हैं:

- i) फर्श, टाइल वाली दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों पर चमक का स्तर, धूल, पैन और गुटखे के दागों, पानी या अन्य तरल पदार्थों का रिसाव और पक्षियों की बूंदों आदि का उपस्थिति। ii) छत, खिड़की की ग्रिल आदि पर धूल, गंदगी के निशान या मकड़ी के जाले आदि।
- 3) खिड़कियों या दरवाजों और दर्पणों के कांच के शीशे पर उंगली या हथेली के निशान, धूल या कोई अन्य दाग।
- 4) वॉश-बेसिन, WC सीटों में दाग, स्वच्छता और गंध। v) फर्श पर सूखापन और चमक। vi) सैनिटरी फिटिंग की सफाई। - शौचालयों के सामने और आसपास के फर्श क्षेत्र की सफाई।
- (viii) पेयजल स्थल और एक्का गार्ड क्षेत्र की सफाई। ix) मार्ग गलियारों, सीढ़ियों, लिफ्टों और कार्यालय स्थान की सफाई।
- (x) कार्यालय परिसर के सामान्य क्षेत्र और शौचालयों में समग्र सफाई।

खंड I

अनुबंध के नियम और शर्तें

एक. **समझौता:** बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते और शर्तों की अनुसूची के अनुसार चौदह दिनों के भीतर औपचारिक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और इस प्रकार निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, इस तरह के औपचारिक समझौते को बाद में चौदह दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादित किया जाता है या नहीं। जब तक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, तब तक बैंक द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। समझौते को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा। एक प्रति नियोक्ता की अभिरक्षा में रहेगी और प्रति का दूसरा सेट ठेकेदार की अभिरक्षा में रहेगा। समझौता आवश्यक स्टाम्प पेपर (कर्नाटक राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क के बराबर मूल्य) पर किया जाएगा और दोनों दस्तावेजों पर आवश्यक स्टाम्प शुल्क की लागत पूरी तरह से ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

दो. **अनुबंध और समीक्षा की अवधि:** अनुबंध एक वर्ष के लिए वैध है और यदि उपचार और कारीगरी संतोषजनक पाई जाती है तो इसे जारी रखा जा सकता है। ठेकेदार के प्रदर्शन की तिमाही समीक्षा की जाएगी। अनुबंध को एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए पारस्परिक नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दो साल से अधिक नहीं। यदि पहले तीन महीनों के भीतर कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो 07 दिनों का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

तीन. **कार्य की प्रकृति:** ठेकेदार द्वारा श्रमिकों/श्रमिकों/कर्मचारियों के नियोजन के माध्यम से किया जाने वाला कार्य/कार्य स्थायी प्रकृति का नहीं होता है।

चार. **अनुबंध को सबलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट:** कॉन्ट्रैक्टर अनुबंध के किसी भी हिस्से को असाइन या सबलेट नहीं करेगा। ठेकेदार अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सभी व्यवस्था करेगा; नियोक्ता पुरुषों/सामग्री के रूप में किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता ठेकेदार को अनुबंध को रद्द करने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता को सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

पाँच. **बयाना राशि जमा:** सफल निविदाकर्ता/बोलीदाता का ईएमडी प्रदर्शन बैंक गारंटी प्राप्त होने पर वापस कर दिया जाएगा और इसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा।

छः. **निष्पादन बैंक गारंटी:** ठेकेदार को निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में निविदा के पुरस्कार के 14 दिनों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी (ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर व्यवस्था की जाएगी) प्रदान करनी होगी।

उपर्युक्त निष्पादन गारंटी सभी प्रकार से कार्य के संतोषजनक समापन तक वैध होगी और ठेकेदार द्वारा विस्तारित पूर्णता समय, यदि कोई हो, तक नवीनीकृत की जानी होगी। यदि ठेकेदार उपर्युक्त में से किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो बैंक बैंक के सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर गारंटी का आह्वान करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सात. ईएमडी/प्रदर्शन बैंक गारंटी से कटौती: इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को देय देय देय / निष्पादन बैंक गारंटी से काटा जा सकता है यदि राशि अनुमति देती है, और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा अन्यथा देय न हो जाए, इस तरह की कटौती के दस दिनों के भीतर इतनी काटी गई राशि को अच्छा बनाएं।

आठ. दंड खंड। जब कभी और जहां भी यह पाया जाता है कि साफ-सफाई ठीक नहीं है, इसे बैंक के अधिकारी/कार्यवाहक द्वारा ठेकेदार के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाएगा। बैंक ठेकेदार की ओर से निम्नलिखित कमियों के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ठेकेदार पर लगाए गए जुर्माने की राशि को बैंक के पास रखी गई सुरक्षा जमा राशि से समायोजित किया जाएगा या बैंक गारंटी का आह्वान करके यदि राशि अनुमति देती है या ठेकेदार को देय बिलों से समायोजित किया जाएगा। दंड की शर्तें इस प्रकार हैं:

एसएल नहीं।	या क्रिस्म	जुर्माना राशि ₹ में
(i)	दैनिक आधार पर पर्याप्त कर्मचारियों को तैनात करने में विफलता: यदि ठेकेदार बैंक की दैनिक आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त कर्मचारियों को तैनात करने में विफल रहता है या अनुपस्थित व्यक्ति के लिए स्थानापन्न कर्मचारी प्रदान करने में विफल रहता है। (-)	अनुपस्थित लोगों की कुल संख्या की न्यूनतम मजदूरी की राशि के दोगुने के बराबर जुर्माना ठेकेदार पर लगाया जाएगा। दो से अधिक मामलों के लिए इसे दोहराने पर, अनुपस्थित लोगों की कुल संख्या की न्यूनतम मजदूरी की राशि के दोगुने से अधिक 2000/- रुपये प्रति दिन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
(ii)	निर्धारित समय-सीमा के भीतर मजदूरी का भुगतान न करने, न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान करने, मजदूरी का भुगतान न करने जैसे लागू वैधानिक कानूनों का पालन करने में विफलता ईपीएफ, ईएसआई आदि (-)	प्रति उदाहरण ₹5000/- का जुर्माना लगाया जाएगा। उसी की पुनरावृत्ति के लिए, बैंक विक्रेता के साथ अनुबंध को समाप्त करने पर विचार कर सकता है। बैंक आरबीआई द्वारा जारी किसी भी निविदा में फर्म को भविष्य में भागीदारी से रोकने पर भी विचार कर सकता है।
(iii)	शौचालयों की सफाई नहीं होने की स्थिति में (-)	₹300.00 प्रति इंस्टेंस प्रति वॉशरूम
(iv)	वॉश रूम के अंदर सफाई सामग्री जैसे लिक्विड हैंड वॉश, एचआरटी रोल, टिशू पेपर आदि की कमी (-)	₹300.00 प्रति इंस्टेंस प्रति वॉशरूम
(v)	यदि फर्श की सफाई प्रति मंजिल ठीक से नहीं की जाती है (-)	₹1000.00 प्रति इंस्टेंस प्रति फ्लोर
(vi)	यदि सामान्य क्षेत्र की सफाई प्रति उदाहरण (-) नहीं की जाती है	₹500.00 प्रति इंस्टेंस
(vii)	यदि सूखे और गीले कचरे का निपटारा प्रति उदाहरण के अनुसार नहीं किया जाता है तो (-)	₹500.00 प्रति इंस्टेंस

इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

नौ. काम करने का समय:

अ) एजेंसी को रविवार और छुट्टी को छोड़कर सप्ताह के सभी छह कार्य दिवसों पर अपने कर्मचारियों को तैनात करना आवश्यक है। केयरटेकर के परामर्श से बैंक के अन्य क्षेत्रों में शनिवार को विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह पूर्व सूचना के साथ चुनिंदा छुट्टियों पर भी एजेंसियों के कर्मचारियों की तैनाती कर सकता है।

आ) तैनात कर्मचारियों के काम के घंटों को बैंक के केयर टेकर और सुरक्षा प्रबंधकों के परामर्श से सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच शिफ्टों में अलग-अलग करना आवश्यक है और एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हर समय मौजूद रहें।

इ) सुपरवाइजर एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की लगातार प्रति घंटा जांच भी करेगा। उसे नियमित रूप से प्रति घंटा अंतराल पर वॉशरूम की जांच करनी चाहिए और उसी की एक लॉग बुक बनाए रखनी चाहिए। लॉग बुक को अगले दिन बैंक के केयर टेकर और सिव्योरिटी मैनेजर को रोजाना रखा जाएगा और उनके द्वारा जांच और सत्यापन किया जाएगा।

10. सामान्य नियम और शर्तें:

(१) एजेंसी को कम से कम 40 प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों (38 श्रमिकों/सफाई कर्मचारियों और हर दिन 02 पर्यवेक्षकों) को तैनात करना होगा।

(२) एजेंसी इन कर्मियों का विधिवत विवरण प्रस्तुत करने के लिए बैंक की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही अपने कर्मियों को तैनात करेगी। कर्मचारियों को बदलने से पहले, एजेंसी पूर्व जानकारी देगी और ऐसा करने के लिए बैंक की अनुमति लेगी।

(३) एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तैनात कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से फिट और संक्रामक रोगों से मुक्त हों।

(४) यह सुनिश्चित करना एजेंसी की जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों की न्यूनतम अपेक्षित संख्या रविवार और अवकाश को छोड़कर सभी दिनों में तैनात की जाए और जब भी विशेष रूप से छुट्टियों के दिन करने का निर्देश दिया जाए।

(५) एजेंसी प्रशिक्षित और अनुभवी पुरुषों/महिलाओं को शामिल करेगी जिनकी आयु 21-40 वर्ष के बीच होगी, नौकरी के लिए विधिवत प्रशिक्षित होगी और फिट और अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हैं। पर्यवेक्षक की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(६) सुनिश्चित करें कि उसके कर्मचारी, बैंक के परिसर में रहते हुए या अपने दायित्व का पालन करते समय, बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करते हैं और बैंक इस बात का एकमात्र न्यायाधीश होगा कि ठेकेदार और/या उसके कर्मचारियों ने इसका पालन किया है या नहीं।

(७) यदि अनुबंध के तहत तैनात एजेंसी का कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित है/हैं, तो एजेंसी द्वारा तुरंत एक विकल्प प्रदान किया जाएगा। विकल्प प्रदान किए बिना अनुपस्थिति के मामले में, बैंक बिंदु संख्या 8 में दिए गए विवरण के अनुसार जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(८) यदि यह देखा जाता है कि एजेंसी के कार्मिक काम के लिए रिपोर्ट करने में बार-बार देरी करते हैं या अपना काम पूरा किए बिना और निर्धारित समय से पहले परिसर छोड़ देते हैं, तो बैंक उचित समझे जाने पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(९) यदि एजेंसी के कामकों के कदाचार/दुर्व्यवहार या काम की खराब गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी प्रत्येक घटना के लिए ₹ 2000/- (दो हजार रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे एजेंसी के लंबित/बाद के बिल से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, एजेंसी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह बैंक द्वारा अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद उक्त कर्मियों को साइट से हटा दे।

(१०) एजेंसी द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रत्येक कर्मचारी के पास जॉब कार्ड और पहनने वाली कंपनी का आई-कार्ड, फर्म का नाम और लोगो वाली वर्दी, जूते/सैंडल और ड्यूटी के दौरान उसके नाम का एक बैज होना चाहिए। इन्हें एजेंसी द्वारा अपनी लागत पर प्रदान किया जाना है।

(११) बैंक को एजेंसी के किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए कहने का अधिकार है, जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में सक्षम और व्यवस्थित नहीं पाया जाता है।

(१२) एजेंसी किसी भी उप-एजेंसी को शामिल नहीं करेगी या किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को अनुबंध हस्तांतरित नहीं करेगी।

(१३) एजेंसी अपने कर्मियों के चरित्र और पूर्ववृत्त पर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और उम्र, शैक्षिक योग्यता, नाम और स्थायी पता, संपर्क नंबरों से संबंधित अन्य विवरण प्राप्त करेगी, साथ ही उन्हें बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में ड्यूटी पर नियुक्त करने से पहले उनके पासपोर्ट आकार के फोटो भी प्राप्त करेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र कि बैंक की सेवाओं में तैनात सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन किया जा चुका है और फर्म के पास उपलब्ध हैं, अनुबंध शुरू होने के एक महीने के भीतर बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैंक अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय इनका सत्यापन कर सकता है।

(१४) एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तैनात किए गए सभी व्यक्तियों का बीमा किया गया है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक इस अनुबंध के निष्पादन के एक भाग के रूप में व्यक्तियों को किसी भी क्षति/चोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या मृत्यु से उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियां एजेंसी द्वारा वहन की जाएंगी।

(१५) एजेंसी और उसके कर्मचारी बैंक द्वारा उन्हें दी गई जिम्मेदारी के क्षेत्रों को नुकसान, विनाश, बर्बादी या दुरुपयोग से बचाने के लिए उचित और उचित सावधानी बरतेंगे और जानबूझकर किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र के तहत बैंक के किसी भी प्रभाव को उधार नहीं देंगे।

(१६) एजेंसी आरबीआई की सभी संपत्ति और उपकरणों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी। एजेंसी के व्यक्तियों द्वारा बैंक को हुई किसी भी क्षति या हानि की वसूली एजेंसी से की जाएगी।

(१७) एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान की स्थिति में, उक्त नुकसान का दावा एजेंसी से नुकसान के मूल्य तक किया जाएगा। क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई बेंगलुरु का निर्णय अंतिम और एजेंसी के लिए बाध्यकारी होगा।

(१८) किसी भी मुकदमेबाजी या एजेंसी के कर्मियों के किसी भी कार्य से उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता को सीधे एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें सभी खर्च/जुर्माना शामिल हैं। संबंधित एजेंसी के कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित होंगे।

(१९) यदि श्रम प्राधिकारियों के किसी भी निर्देश या किसी भी श्रम कानून या विनियम के तहत किए गए दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा भुगतान किए जाने का निर्देश दिया जाएगा, तो ऐसी धनराशि एजेंसी द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर बैंक को देय मानी जाएगी। बैंक एजेंसी को देय धन से कटौती करके एजेंसी से इस राशि की वसूली करने का हकदार होगा।

(२०) विक्रेता एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए अनुबंध के तहत कार्यों/सेवाओं से उत्पन्न होने वाले या उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी दावों, क्षतिओं, हानियों और खर्चों से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा।

(२१) बैंक अनुबंध की समाप्ति के बाद एजेंसी के किसी भी कर्मचारी को रोजगार प्रदान करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा। बैंक एजेंसी के किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी कर्मचारी नियोक्ता के संबंध को मान्यता नहीं देता है।

(२२) यदि भुगतान के बाद लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी अधिक भुगतान का पता चलता है या निविदा के तहत एजेंसी द्वारा किए जाने का आरोप लगाया जाता है, तो इसे बैंक द्वारा एजेंसी से वसूल किया जाएगा।

(२३) समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद संशोधन की आवश्यकता वाले अनुबंध के किसी भी प्रावधान की स्थिति में, इसे लिखित रूप में बनाया जाएगा और बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसका प्रतिनिधित्व उसके अधिकृत अधिकारी और एजेंसी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। इस तरह के संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं।

(२४) एजेंसी एक रजिस्टर बनाए रखेगी जिसमें कर्मियों की दिन-प्रतिदिन की तैनाती रखी जाएगी। विधेयक को उठाते समय, प्रत्येक माह के दौरान लगे कामकों की तैनाती का विवरण, शिफ्ट वार, यदि कोई हो, को कार्यवाहक और सुरक्षा प्रबंधक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित दिखाया जाना चाहिए। एजेंसी को सरकारी नियमों और कानूनों के अनुसार मजदूरी के भुगतान के संबंध में एक हलफनामा देना होता है।

(२५) एजेंसी द्वारा लगाए गए श्रमिकों को आवास प्रदान करना बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि, यूनिफॉर्म के बदलाव के लिए एक चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी।

(२६) किसी भी कारण से अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, एजेंसी/या उसके या उसके एजेंटों द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे, क्षति या अन्यथा के रूप में बैंक से किसी भी राशि या राशि के हकदार नहीं होंगे।

(२७) ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित कामगार को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करेगा और इस कार्य के लिए नियुक्त बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में वेतन पर्ची पर उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। श्रमिकों को प्रत्येक भुगतान के बाद रजिस्टर बैंक में जमा किया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अनुसार अपने कर्मचारियों को पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। एजेंसी/ठेकेदार को उस कार्य को सौंपने से पहले लागू मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर वचन देना होता है जो वह वास्तव में सभी श्रमिकों को उस विशेष कार्य/कार्य को पूरा करने के लिए नियोजित किए जाने वाले सभी विवरणों के सभी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए करता है जो सीएलआरए अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी के तहत निर्धारित दर से कम नहीं है। (ख) सरकार ने 1970 से 1970 में एक मामले में मुख्य कर्मचारी को उन सभी कार्रवाइयों के खिलाफ क्षतिपूर्ति भी की है जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रधान नियोक्ता के खिलाफ इस तरह के वेतन का भुगतान करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफलता के लिए शुरू की जा सकती हैं।

(२८) ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 या लागू किसी अन्य कानून के तहत यथा अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करेगा, जिसमें विफल रहने पर वह अकेले ही कार्यों/कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक को ठेकेदार के कार्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।

(२९) ठेकेदार मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि (और प्रकीर्ण प्रावधान) अधिनियम, 1952, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य नियम/विनियम/कानून/अधिसूचनाओं के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सभी हानियों और दावों, हर्जाने या मुआवजे के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा। ठेकेदार इस संबंध में देनदारियों, यदि कोई हो, के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(३०) बैंक चाहता है कि एजेंसी को एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक के माध्यम से हर महीने की कम से कम 10 तारीख तक अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए उनके कर्मचारियों द्वारा एक बैंक खाता बनाए रखा जाना चाहिए।

(३१) एजेंसी को दूसरे महीने से ही अगले महीने के चालान के साथ हर महीने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि बैंक में तैनात उसके सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सभी सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करते हुए और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार किया गया है। इस प्रमाण पत्र के बिना बिल भुगतान संसाधित नहीं किया जाएगा।

(३२) बैंक विक्रेता से मासिक आधार पर प्रत्येक कर्मचारी के पीएफ/ईएसआई/वेतन आदि में कर्मचारी के अंशदान को जमा करने का प्रमाण जमा करने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। (xxiii) किए गए कार्य/प्रदान की गई सेवा के लिए एजेंसी को भुगतान निम्नलिखित के अधीन मासिक आधार पर किया जाएगा:

(अ) अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार, जिस महीने के लिए एजेंसी ने बिल उठाया है, उसके लिए कार्य को संतोषजनक ढंग से निष्पादित किया गया है।

(आ) श्रमिकों को मजदूरी का संवितरण एजेंसी द्वारा उस महीने के लिए पहले ही किया जा चुका है जिसके लिए एजेंसी को भुगतान पर विचार किया जा रहा है।

(इ) इन भुगतानों को करने के लिए लिखित रिकॉर्ड बैंक द्वारा किसी भी समय इसके सत्यापन के लिए कहा जा सकता है।

(३४) बैंक आयकर अधिनियम की धारा 194-सी के तहत एजेंसी से स्रोत पर आयकर की कटौती करेगा, जिसमें शामिल आय पर आयकर के रूप में ऐसी राशि की प्रचलित दरों पर कटौती की जाएगी। कोई अन्य वैधानिक कटौती, यदि आवश्यक हो, तो भी लागू होगी।

(३५) ठेकेदार कारखाना अधिनियम 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, ईएसआई अधिनियम 1948, कामगार प्रतिकर अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। कर्नाटक औद्योगिक प्रतिष्ठान, (राष्ट्रीय और त्योहार अवकाश) अधिनियम 1963 और नियम जहां या किसी अन्य कानून और नियम के तहत समय-समय पर ठेका श्रमिकों पर लागू हो सकते हैं। ठेकेदार रजिस्टर और रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देशों का पालन करेगा।

(36) एजेंसी इस अनुबंध के संबंध में भारत के कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। एजेंसी हर साल रिटर्न दाखिल करने के प्रमाण देने वाली पावती की प्रतियां प्रस्तुत करेगी और नियोक्ता को उसके संबंध में एजेंसी के कर, ब्याज, जुर्माना आदि की देयता के खिलाफ पूरी तरह से क्षतिपूर्ति रखेगी, जो उत्पन्न हो सकती है।

ग्यारह. ठेकेदार को भुगतान:

(अ) भुगतान संतोषजनक सेवा के अधीन और उद्धृत दरों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक / आनुपातिक आधार पर मासिक आधार पर किया जाएगा।

(आ) जब किसी भी बैंक के क्षेत्र में कोई हाउसकीपिंग की जाती है, तो बिलों के निपटान के लिए बैंक के कार्यवाहक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पूर्ण विवरण देने वाला रिकॉर्ड आवश्यक है।

(इ) संबंधित कार्यवाहक प्रमाणित बिल को सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो भुगतान से पहले अंतिम रूप से जांच करेगा और प्रमाणित करेगा। भुगतान ई-मोड (एनईएफटी) के माध्यम से किया जाएगा।

बारह. वृद्धि खंड: वैधानिक शुल्क आनुपातिक रूप से अलग-अलग होंगे, जब भी श्रम आयुक्त/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा न्यूनतम मजदूरी/जीएसटी/किसी अन्य वैधानिक शुल्क, करों आदि को संशोधित किया जाता है, तो ऐसी संशोधित दरें दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगी।

तेरह. ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिकों को भुगतान:

(अ) निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वे ठेका श्रमिकों सहित सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से सुनिश्चित करें।

(आ) नियोक्ता होने के नाते/बैंक बैंक के विवेक पर इस शर्त का अनुपालन करने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निविदाकर्ता को बुलाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(इ) ठेकेदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वेतन पर्चियों की फोटो कॉपी और प्रत्येक श्रमिक द्वारा हस्ताक्षरित काउंटर की प्रति बैंक को प्रस्तुत की जानी है।

(ई) ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य वैधानिक दायित्वों (यानी कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि) के प्रावधानों का पालन करना होगा और बैंक को उसी के संबंध में भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। (इसमें कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी प्रीमियम और मजदूरी के भुगतान के बारे में बैंक खाते का विवरण शामिल होना चाहिए)।

(उ) राष्ट्रीय अवकाश के दिन तैनात मजदूरों/श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा उचित मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए शुल्क/व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। मूल्य बोली प्रस्तुत करने के दौरान इसका हिसाब रखा जा सकता है।

चौदह. परिसमापन क्षति: निम्नलिखित तरीके से लगाया जाएगा: दैनिक आधार पर अधिदेशित समय की अवधि के लिए सेवाओं की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं होने के मामले में, बैंक प्रदान की गई सेवाओं की संख्या में कमी/निष्पादित कार्य और/या सेवा की अवधि (घंटों में) में कमी के संबंध में यथानुपात आधार पर हर्जाने की वसूली करेगा, अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन।

पंद्रह. यौन उत्पीड़न:

अ) ठेकेदार को "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करना होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को बैंक के ध्यान में लाए जाने पर, बैंक आपराधिक कार्यवाही और संविदा/समझौते की समाप्ति सहित उचित कार्रवाई करेगा।

आ) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

इ) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

ई) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

सोलह. **स्पष्टीकरण:** किसी भी वस्तु या विनिर्देश में चूक और/या संदेह या विसंगतियों के सभी मामलों में नियोक्ता को एक संदर्भ दिया जाएगा जिसकी व्याख्या, विस्तार या निर्णय को प्रामाणिक माना जाएगा। ठेकेदार को किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो इस तरह के संदर्भ और सावधानी के अभाव में काम में हो सकती है।

सत्रह. **समझौते की समाप्ति:** ऊपर दी गई बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर, बिना कोई कारण बताए और किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना लिखित सूचना द्वारा इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि बैंक की राय में (जिसे ठेकेदार द्वारा प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा) ठेकेदार इस समझौते को लागू करने में विफल रहता है या इस समझौते को लागू करने से इनकार करता है। बैंक की संतुष्टि और/या।

(अ) ठेकेदार इस समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है और/या।

(आ) ठेकेदार को दिवालिया घोषित किया जाता है या उसके द्वारा अपने लेनदारों के साथ समझौता किया जाता है या यदि संकट या निष्पादन या अन्य प्रक्रिया लगाई जाती है या रिसीवर को ठेकेदार की संपत्ति या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए नियुक्त किया जाता है और/या,

(इ) किसी भी कारण से, ठेकेदार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून में अयोग्य हो जाता है और/या।

(ई) इस तरह के परिवर्तन के लिए बैंक के लिखित अनुमोदन के बिना ठेकेदार या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंधन में कोई भिन्नता है।

(उ) किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति की स्थिति में, ठेकेदार/या उसके या उसके एजेंटों द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे, क्षति या अन्यथा के रूप में बैंक से किसी भी राशि या रकम के हकदार नहीं होंगे।

अठारह. कि बैंक किसी भी सफाई कर्मचारी की मृत्यु या चोट या दुर्घटना के लिए किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उनके कर्तव्यों और रोजगार के दौरान उत्पन्न हो सकता है। इस बात पर सहमति हुई है और समझा जाता है कि ऐसे सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को इस तरह के नुकसान या मुआवजे का भुगतान करने के लिए ठेकेदार ही उत्तरदायी होगा।

उन्नीस. कि एजेंसी द्वारा बैंक में तैनात अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरती जाएंगी और अपने कर्मचारियों को किसी भी अप्रिय घटना यानी मुआवजा आदि के प्रति एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

बीस. अनुबंध का पुरस्कार:

- (अ) बैंक इस निविदा के सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन सफल मूल्यांकन किए गए बोलीदाता को ठेका प्रदान करेगा।
- (आ) बैंक "लेटर ऑफ ऑफर" के माध्यम से निर्णय की सूचना देगा।
- (इ) सफल बोलीदाता को प्रस्ताव पत्र जारी होने की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर एक अनुबंध समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।
- (ई) सफल बोलीदाता को भारतीय रिज़र्व बैंक, बंगलुरु के पक्ष में उद्धृत राशि के 5% की राशि के लिए "लेटर ऑफ ऑफर" प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।
- (उ) निष्पादन बैंक गारंटी सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।
- (ऊ) यदि अनुबंध की अवधि को और बढ़ाया जाता है, तो एजेंसी द्वारा तदनुसार निष्पादन बैंक गारंटी की वैधता भी बढ़ाई जाएगी।
- (ऋ) सफल बोलीदाता को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य दरों और शर्तों पर हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक का अतिरिक्त क्षेत्र सौंपा जा सकता है।
- (लृ) सफल बोलीदाता निर्धारित प्रोफार्मा में पर्यवेक्षकों सहित उन कर्मियों की संख्या का उल्लेख करेगा जिन्हें वह कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए दैनिक आधार पर तैनात करने का प्रस्ताव करता है।
- (एँ) सफल बोलीदाता निर्धारित प्रोफार्मा में पर्यवेक्षकों सहित उन कर्मियों की संख्या का उल्लेख करेगा जिन्हें वह कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए दैनिक आधार पर तैनात करने का प्रस्ताव करता है।
- (ऐ) बोलीदाता सफाई उपकरणों, प्रमुख उपकरणों, सफाई सामग्री आदि की सूची का उल्लेख करेगा जिसे वह काम के सुचारू निष्पादन में उपयोग करने का प्रस्ताव करता है। सफाई सामग्री बिल सत्यापन के लिए वेतन बिल के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

खंड - J

भाग - II

वित्तीय बोली (प्रारूप 1)
(केवल उदाहरण के लिए)

निविदाकर्ता द्वारा केवल एमएसटीसी पोर्टल में ऑनलाइन भरी जाने वाली दरें, जीएसटी को छोड़कर और केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुरूप होनी चाहिए (जो भी अधिक हो)।

करों की गणना स्वचालित रूप से की जाएगी।

तकनीकी बोली (भाग-I) के साथ भाग-II अपलोड न करें।

दरों के साथ इस पृष्ठ को अपलोड करने की स्थिति में पूरी बोली को शून्य और शून्य माना जाएगा

उपरोक्त के जवाब में और आपके द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों और पूर्व-योग्यता मानदंडों के साथ पूर्ण समझौते में, मैं/हम निम्नानुसार बताते हैं: -

क्रम नहीं।	या क्रिस्म	कुल धनराशि (उद्धृत किया जाना है एमएसटीसी पर) (ए)	कुल नहीं। का में कार्मिक कोटि (बी)	कुल कुल धनराशि सी = (ए एक्स बी)
जीएसटी को छोड़कर प्रति व्यक्ति 12 पतंगों के लिए बोली लगाई जानी है				
भारतीय रिज़र्व बैंक बेंगलुरु के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और एनेक्स भवनों में पर्यवेक्षक (कुशल)				
1.	1 पर्यवेक्षक (कुशल) के लिए बेसिक+वीडीए 12 महीने @ 26 दिन/माह के लिए		2	
	1 सुपरवाइजर के लिए ईपीएफ 12 महीने के लिए		2	

पृष्ठ 52 का 65

	12 महीने के लिए 1 पर्यवेक्षक के लिए ईएसआई (यदि लागू हो)		2	
	12 महीने के लिए 1 पर्यवेक्षक के लिए अन्य वैधानिक भुगतान (यदि लागू हो)		2	
	1 महीने के लिए 12 पर्यवेक्षक के लिए समान शुल्क		2	
	**12 माह के लिए 1 पर्यवेक्षक (कुशल) की तैनाती के लिए सेवा प्रभार जिसमें परियोजना के बीमा की लागत और प्रदान करने की लागत शामिल है कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत कवर नहीं किए गए कामगारों को कामगारों का बीमा। नोट: सेवा शुल्क न्यूनतम 3% होना चाहिए		2	
	उप कुल			सी1
भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) और एनेक्स भवनों में कामगार (अकुशल) बेंगलुरु				
2.	मूल मजदूरी + वीडिए (अकुशल) 12 महीने के लिए @ 26 दिन/माह		38	
	12 महीने के लिए 1 हेल्पर कम अटेंडेंट के लिए ईपीएफ		38	
	12 महीने के लिए 1 हेल्पर कम अटेंडेंट के लिए ईएसआई		38	
	12 महीने के लिए प्रति व्यक्ति अन्य वैधानिक भुगतान (जैसा लागू हो)		38	
	1 हेल्पर के लिए 12 महीने के लिए वर्दी शुल्क		38	
	**कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत कवर नहीं किए गए कामगारों को कर्मकार बीमा प्रदान करने के लिए बीमा की लागत सहित 12 माह के लिए 1 कामगार (अकुशल) की तैनाती के लिए सेवा प्रभार।		38	
	उप कुल			सी2
3.	मुख्य कार्यालय परिसर में रखरखाव और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए 12 महीने के लिए सफाई सामग्री, और आवश्यक मशीनरी (जैसा कि काम के दायरे के तहत दिया गया है) प्रदान करने की लागत (अनुलग्नक सहित) भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरू के भवनों (भवन) (* परिवहन, वितरण आदि सहित पूरे ऑपरेशन के लिए)		1	सी3
4.	संचालन की कुल लागत (C4=C1+C2+C3)			सी4
5.	जीएसटी @ (C4) का 18%			सी5
6.	जीएसटी के साथ कुल योग (C6=C4+C5)			सी6

* कृपया वस्तुओं की अनुमोदित सूची देखें। वस्तुओं को भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, बेंगलुरु में वितरित किया जाना आवश्यक है।

** यदि कोई फर्म 'शून्य' शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें: यहां न भरें। उद्धरण (कॉलम 'ए') केवल एमएसटीसी वेबसाइट में दर्ज किया जाना चाहिए। कर और कुल राशि की गणना सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से की जाएगी।

नोट:

अ) बैंक अनुमानित दरों, प्रचलित बाजार दरों, कच्चे माल/श्रम के आर्थिक सूचकांकों और अन्य इनपुट लागतों आदि के संबंध में दरों की तर्कसंगतता स्थापित करेगा, तदनुसार, बैंक अपने विवेक पर, किसी भी बोलीदाता को उस विवरण और औचित्य को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जिसके आधार पर उद्धृत दरें आई हैं

आ) उद्धृत दरें जीएसटी से अलग होनी चाहिए। विशेष कार्य को 'सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के खंड 119 में परिभाषित कार्य अनुबंध की समग्र आपूर्ति' के रूप में माना जाता है। विक्रेता बैंक को जमा किए गए चालान में जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित लागू जीएसटी लगा सकता है।

इ) उद्धृत दरों में रिलीवर शुल्क शामिल हैं। रिलीवर पोस्ट करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ई) उद्धृत दरें श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप होनी चाहिए और वे अन्य अनिवार्य शुल्क यानी ईपीएफ, ईएसआई आदि संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

उ) यदि उपरोक्त दरों और प्रतिशतों में से कोई भी संबंधित सांविधिक कानूनों और बैंक के विनिर्देशों के अनुपालन में नहीं पाया जाता है तो वित्तीय बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ऊ) भारत सरकार के व्यय विभाग द्वारा जारी माल की खरीद नियमावली 2017 के पैरा 7.5.7 के अनुसार, असामान्य रूप से कम बोली वह है जिसमें बोली मूल्य, बोली के अन्य तत्वों के संयोजन में, इतना कम प्रतीत होता है कि यह प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध करने के लिए बोलीदाता की क्षमता के बारे में भौतिक चिंताएं पैदा करता है। खरीद इकाई (आरबीआई बेंगलुरु) ऐसे मामलों में बोलीदाता से लिखित स्पष्टीकरण मांग सकती है, जिसमें दायरे, अनुसूची, जोखिमों और जिम्मेदारियों के आवंटन और बोली दस्तावेज की किसी भी अन्य आवश्यकताओं के संबंध में इसकी बोली मूल्य का विस्तृत मूल्य विश्लेषण शामिल है। यदि, मूल्य विश्लेषण का मूल्यांकन करने के बाद, खरीद इकाई यह निर्धारित करती है कि बोलीदाता प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध देने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने में काफी हद तक विफल रहा है, तो खरीद इकाई बोली/प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है।

(अनुलग्नक-1)

बैंकों का विवरण
(एजेंसी/विक्रेता पत्र शीर्ष पर)

S.No	विवरण	ब्यौरा
1.	बैंकर का नाम:	
2.	शाखा का नाम और उसका पूरा डाक पता:	

पृष्ठ 55 का 65

3.	संपर्क व्यक्ति का नाम और नौकरी का शीर्षक उसके टेलीफोन के साथ	
4.	नहीं(सं) और फैक्स संख्या(सं) आदि।	
5.	खाते का प्रकार:	
6.	खाता संख्या:	
7.	IFSC कोड:	
8.	क्या ठेकेदार द्वारा क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ लिया गया है:	
9.	वह अवधि जिससे ठेकेदार बैंकर के साथ बैंकिंग कर रहा है:	
10.	कोई अन्य जानकारी जो ठेकेदार अपने बैंकर के बारे में प्रस्तुत करना चाहता है	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

खजूर:

(नाम और मुहर के साथ)

अनुलग्नक-II

गोपनीय

हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी/एजेंसी/फर्म के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र

ग्राहक का नाम और पता: _____

मैसर्स s _____ से प्राप्त सेवा का विवरण

क्रम नहीं।	विवरण	टिप्पणियाँ
1.	प्राप्त सेवा की प्रकृति	

पृष्ठ 56 का 65

2.	समझौता सं. और तारीख	
3.	समझौते की राशि	
4.	कंपनी/एजेंसी/फर्म के साथ काम करते समय से	
5.	प्रदान किए गए कर्मियों की संख्या	
6.	अनुबंध के नियमों और शर्तों के पालन के बारे में टिप्पणियां	
7.	प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता पर टिप्पणियाँ	
8.	सांविधिक मानदंडों के पालन पर टिप्पणियाँ	
9.	अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन न करने के लिए लगाया गया कोई भी जुर्माना	
10.	कोई अन्य जानकारी	

स्थान: _____

खजूर: _____

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

लैंड लाइन नं. कार्यालय की संख्या:

मोबाइल नं. हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या:

हस्ताक्षरकर्ता की ईमेल आईडी:

कृपया ध्यान दें: ग्राहक के आधिकारिक लेटर हेड में मूल रिपोर्ट की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु को संबोधित की जानी चाहिए - 560001 एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय अपलोड किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक III

प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान: _____

खजूर: _____

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग

बेंगलुरु

प्रिय महोदय,

पृष्ठ 57 का 65

भारतीय रिज़र्व बैंक बेंगलुरु में मुख्य कार्यालय परिसर (एनेक्सी भवन सहित) में रखरखाव और हाउस कीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए ई-निविदा

अ) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त संविदा में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में या इसके तहत या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ठेकेदार को किसी भी समय प्रदान करने या उसके संबंध में किसी अन्य मामले को दिखाने में भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन, हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों के प्रदर्शन द्वारा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा उद्धृत राशि के 5% से अधिक नहीं की राशि का भुगतान करके दी जाएगी।

आ) इन उपहारों के तहत हमारी देयता उद्धृत राशि के 5% के योग से अधिक नहीं होगी।

इ) इस समझौते के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

ई) यह गारंटी दोष देयता अवधि से 60 (60) दिनों तक लागू रहेगी बशर्ते कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा चाहा जाता है, तो इस गारंटी को एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा यहां निहित नियमों और शर्तों पर दर्शाया जा सकता है।

उ) इन उपहारों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों को यहां ऊपर दिए गए अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता है, उस दिन या उस दिन जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं, जिसके लिए अकेले आरबीआई द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें यहां हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके साक्षी में, बैंक के मैने/हमने इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और of _____ (माह) (वर्ष) के _____ दिन विधिवत अधिकृत किए जाने पर हस्ताक्षर किए हैं और सील कर दिए हैं।

के लिए और की ओर से (बैंक का नाम)

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

औहदा

बैंक की स्टाम्प/मुहर

उपर्युक्त नामित द्वारा बैंक के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया:

गवाह 1

दस्तखत देखिए।

नाम||||||||||||||||||||||||||||||||||||

पता||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(एनबी: इस प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टॉप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

अनुलग्नक-IV

इसी तरह के कार्यों की सूची (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च 2025) तक पिछले 05 वर्षों के दौरान निष्पादित (विक्रेता के लेटलेटर हेड में जमा किया जाना है)

क्रम नहीं।	का नाम ग्राहक	पुरस्कार का वर्ष इक्ररारनामा करना	की अवधि दिनांक, महीने और वर्ष के साथ अनुबंध		का वास्तविक मूल्य सम्मानित अनुबंध	नाम और पूर्ण संपर्क विवरण (संपर्क नंबरों के साथ) अधिकारियों/प्राधिकारियों/ विभाग जिनके अधीन कार्य थे/थे बीता हुआ
			से	तक		

पृष्ठ 60 का 65

नोट:

- इसी तरह के कार्य बोलीदाता द्वारा (i) स्टार होटल, (ii) अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू हवाई अड्डे, (iii) प्रतिष्ठित/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों/उद्यमों या उनकी आवासीय संपत्तियों (iv) प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों आदि में बोलीदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली रखरखाव और हाउसकीपिंग सेवाओं के कार्यों को संदर्भित करेंगे।
- उपर्युक्त जानकारी भाग- I के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगी: - तकनीकी वाणिज्यिक बोली।
- वर्ष और अवधि को सावधानी से लिखा जाना चाहिए। उदाहरण के उद्देश्य के लिए, इसे इस तरह लिखा जा सकता है: वर्ष- 2026 और अवधि: 01 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक।
- इस दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी निष्पादित कार्यों के साथ ग्राहक के लेटरहेड में कार्य आदेश और ग्राहक रिपोर्ट (अनुलग्नक-IV में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार) पिछले 10 वर्षों के दौरान किए गए कार्य का विवरण, कार्य की अवधि, प्रदर्शन / गुणवत्ता पर टिप्पणियां, कार्य की मात्रा, मध्यस्थता, यदि कोई हो, सामान्य व्यवहार, तकनीकी दक्षता, विक्रेता द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। ग्राहक रिपोर्ट के बिना, मूल्यांकन के लिए केवल कार्य आदेशों पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्थान:

खजूर:

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक-V

अनुसूचित बैंक से बैंकर के प्रमाण पत्र का प्रपत्र
(निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ अपलोड किया जाना है)

1.	कंपनी/एजेंसी/फर्म का नाम	
2.	कंपनी/एजेंसी/फर्म की संरचना (चाहे पार्टनरशिप/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोपराइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड)	
3.	कंपनी/एजेंसी/फर्म के प्रोपराइटर/पार्टनर/निदेशकों का नाम	
4.	बैंकर का नाम	

5.	शाखा का नाम और पूरा डाक पता	
6.	संपर्क व्यक्ति का नाम और नौकरी का शीर्षक उसके टेलीफोन नंबर (ओं) और ई-मेल आदि के साथ।	
7.	खाते का प्रकार	
8.	खाता संख्या	
9.	आईएफएससी कोड	
10.	पिछले 3 वर्षों के लिए कंपनी/एजेंसी/फर्म का कारोबार (वर्षवार)	
11.	ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा जो कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा प्राप्त की जाती है	
12.	व्यवहार	
13.	वह अवधि जब से कंपनी/एजेंसी/फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही हो	
14.	कोई अन्य टिप्पणी	
15.	आप कृपया अपनी राय भी भेज सकते हैं कि क्या उपरोक्त कंपनी/एजेंसी/फर्म को ₹1.45 करोड़/प्रति वर्ष की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए अनुबंध सौंपा गया है।	

स्थान: _____

(सील के साथ हस्ताक्षर) बैंक तिथि के लिए:

लैंडलाइन नं. Br.:

नोट:

मोबाइल नं. हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या:

हस्ताक्षरकर्ता की ईमेल आईडी:

- (१) बैंकर का प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए
- (२) साझेदारी फर्म के मामले में, बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल करने के लिए प्रमाण पत्र।
- (३) एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (केवल पीडीएफ फॉर्मेट) अपलोड की जानी चाहिए और बैंक द्वारा पूछे जाने पर हार्ड कॉपी जमा करनी होगी।

अनुलग्नक-VI

मूल्यांकन मैट्रिक्स

निम्नलिखित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

	कसौटी	वेटेज	
	उप-मानदंड	कसौटी कुल	उप-मानदंड

पृष्ठ 63 का 65

भारतीय रिज़र्व बैंक बेंगलुरु में मुख्य कार्यालय परिसर (एनेक्सी भवन सहित) में रखरखाव और हाउस कीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए ई-निविदा

1	इकाई के पास सेवा उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और "समान कार्यों" में प्रबंधन और हाउसकीपिंग में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है		
1 ए	<ul style="list-style-type: none"> केंद्र या राज्य सरकार / पीएसयू / निजी बैंकों में हाउसकीपिंग सुविधा में अनुभव न्यूनतम 3 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अंक 3 साल के अनुभव से अधिक के अतिरिक्त वर्षों को प्रत्येक वर्ष 1 अंक मिलेगा) 		
1बी	<ul style="list-style-type: none"> नहीं। गेस्ट हाउस/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के होटल/5 सितारा होटल/घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों/प्रतिष्ठित अस्पतालों/लक्जरी मॉल में हाउसकीपिंग सुविधा में वर्षों का प्रासंगिक अनुभव न्यूनतम 3 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अंक, 3 साल के अनुभव से अधिक के अतिरिक्त वर्षों को प्रत्येक वर्ष 1 अंक मिलेगा) 		
2	वैध आईएसओ प्रमाणन	1 मार्क	
नहीं। 31 दिसंबर, 2025 तक रोल पर कर्मियों की संख्या (नवीनतम ईपीएफ द्वारा समर्थित होने का दावा रसीद)			
3	पर्यवेक्षक (05 – 2 अंक तक, उसके बाद प्रत्येक के लिए 1 अंक 10 पर्यवेक्षक)		
4	कामगार (100 तक – 2 अंक, उसके बाद प्रत्येक के लिए 1 अंक 100 कर्मकार)		
	कुल		

सफल बोलीदाता का चयन (L1)

बैंक केवल उन्हीं फर्मों/एजेंसियों/बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोलेगा जिनकी तकनीकी बोलियां योग्य पाई जाती हैं। एल-1 एजेंसी को काम सौंपा जाएगा बशर्ते वह निविदा दस्तावेज में दिए गए सभी मानदंडों को पूरा करता हो। यदि एक से अधिक एजेंसियों की वित्तीय बोलियां एल-1 के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाती हैं, तो कार्य उस एजेंसी को प्रदान किया जाएगा जो ऊपर दिए गए मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार तकनीकी बोली के मूल्यांकन में अधिकतम अंक प्राप्त करती है।

सफल बोलीदाता को इस ई-निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर बैंक के साथ व्यापक रूप से एक समझौता करना होगा। हालांकि, बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने और उसके बिना किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घोषणा: मैं/हमने सामान्य जानकारी, कार्य के दायरे, नियम और शर्तों को स्पष्ट रूप से ऊपर उल्लिखित पढ़ लिया है और यदि प्रदान किया जाता है, तो अनुबंध को निष्पादित करने के लिए इसे स्वीकार करते हैं।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर तिथि:

मोहर